न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०& एस०टी०) पी०ए० एक्ट
अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया

पीठासीन अधिकारीः– प्रमोद कुमार गंगवार, (एच०जे०एस०)
(I.D. No. UP–6295)

UPBL010049422025

<u>दाण्डिक अपील संख्या–105/2025</u>

विनय गोयल पुत्र स्व० दशरथ राम, निवासी कौटियां कुरेम, थाना रसडा, जिला बलिया।
.....अपीलार्थी/अभियुक्त

प्रति

1– उत्तर प्रदेश राज्य
2– सुरेन्द बहादुर सिंह पुत्र स्व० उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम पटना, थाना रसड़ा, जिला बलिया। ......प्रत्यर्थीगण

एवं

UPBL010050162025

<u>सम्बन्धित दाण्डिक अपील संख्या–109/2025</u>

नरसिंह राम पुत्र बिरन राम, साकिन लहसनी, थाना नगरा, जिला बलिया।
.....अपीलार्थी/अभियुक्त

प्रति

1– उत्तर प्रदेश राज्य
2– सुरेन्द बहादुर सिंह पुत्र स्व० उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम पटना, थाना रसड़ा, जिला बलिया। ......प्रत्यर्थीगण

एवं

UPBL010050072025

<u>सम्बन्धित दाण्डिक अपील संख्या–110/2025</u>

संतोष गोयल पुत्र स्व० दशरथ राम, निवासी कोटियां कुरेम, थाना रसडा, जिला बलिया। .....अपीलार्थी/अभियुक्त

प्रति

1– उत्तर प्रदेश राज्य

Digitally signed by PRAMOD KUMAR GANGWAR
Date: 2026.08.10 17:25:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– सुरेन्द बहादुर सिंह पुत्र स्व० उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम पटना, थाना रसड़ा, जिला बलिया। ......प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से– 1– श्री अशोक कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
2– श्री दिवाकर तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।
3– श्री बीरजीत यादव, विद्वान अधिवक्ता।
4– श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से– 1– श्री जय गोविन्द राय, विद्वान अधिवक्ता।
2– गुड़िया रानी, विद्वान अधिवक्ता।
3– श्री राम नरेश यादव, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)।

निर्णय

1– दाण्डिक अपील संख्या–105/2025 अपीलार्थी/अभियुक्त विनय गोयल द्वारा, दाण्डिक अपील संख्या–109/2025 अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह राम द्वारा तथा दाण्डिक अपील संख्या–110/2025 अपीलार्थी/अभियुक्त संतोष गोयल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षीगण उत्तर प्रदेश राज्य एवं सुरेन्द्र बहादुर सिंह के विरूद्ध श्री शैलेश पाण्डेय विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा दाण्डिक वाद संख्या–3641/2020 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति विनय गोयल व 3 अन्य अन्तर्गत धारा–420, 120 बी, 504, 506 भा०दं०सं० थाना नगरा, जिला बलिया में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23–09–2025 जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये भिन्न–भिन्न दण्डादेश पारित किये गये है, के विरूद्ध अलग–अलग योजित की गयी है।

2– अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल, नरसिंह राम तथा संतोष गोयल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दाण्डिक अपील संख्या–105/2025, दाण्डिक अपील संख्या–109/2025 तथा दाण्डिक अपील संख्या–110/2025 एक ही दाण्डिक वाद संख्या–3641/2020 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति विनय गोयल व 3 अन्य में पारित निर्णय व आदेश/दण्डादेश दिनांकित 23–09–2025 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त तीनों दाण्डिक अपील को निस्तारण की सुविधा की दृष्टि से अंगीकृत समेकित करते हुये एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

3– इस अपील से उद्भूत सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण के वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० उमाशंकर सिंह, निवासी ग्राम पटना, थाना रसडा, जिला बलिया के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना नगरा, जिला बलिया को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना–पत्र दिनांकित 29–07–2020 यथा प्रदर्श क–1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह अपने पुत्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह व साला चंदन कुमार सिंह को सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु विनय गोयल व संतोष गोयल पुत्रगण स्व० दशरथ राम सा० कोटियां (कुरेम), थाना रसडा जिला बलिया से जू०हा०स्कूल अनुसूचित पाठशाला–कुरेम कोटिया जिसका प्रबन्धक उपरोक्त विनय व संतोष उपरोक्त स्वयं बताकर उपरोक्त विद्यालय में अथवा सचिवालय उ०प्र० में स्वयं का रिश्तेदार को सचिव होने की बात बताकर नौकरी दिलाये जाने की बात किये तथा उसके पुत्र को प्रेरित किये, जिससे उत्प्रेरित होकर उसका पुत्र व साला नौकरी दिलाये जाने के लिए मुव०–18 लाख रूपये

तयशुदा रकम को देने हेतु उसको विवश किये। वह विनय व संतोष के विश्वसनीय कथनों के प्रभाव में आकर इन लोगों के कहने पर कि हम लोगों की एक टीम है, जिसमें हम दोनों के अलावा विनय का साला नरसिंह पुत्र वीरन राम सा०–लहसनी थाना नगरा, जनपद बलिया है, हम लोग सरकारी नौकरी व विद्यालय का प्रबन्धन व अन्य तमाम कार्यों की देखरेख करते हैं इसलिए नौकरी वाला पैसा नरसिंह के खाते में ही रखा जाता है। इसलिए आप नरसिंह उपरोक्त के खाते में ही पैसा प्रदान करें। इन लोगों के कथनानुसार उसने भिन्न–भिन्न तिथियों पर आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा दिनांक 04–02–2019 को मु०–3,70,000/–रूपये दिनांक 20–02–2019 को 2,00,000/– रूपये, दिनांक 30–03–2019 को 90,000/– रूपये, दिनांक 22–07–2019 को 3,00,000/–रूपये व अपने मित्र अश्वनी यादव के खाते से मु० 48,000/– रूपये दिनांक 31–01–2019 को बंधन बैंक शाखा चचयाँ नगरा, बलिया से तथा दिनांक 01–02–2019 को मु० 2,000 /– रूपये बंधन बैंक के खाता संख्या–50160014513813 जो नरसिंह उपरोक्त के नाम का हैं, में स्थानान्तरित किया। नकद के रूप में मु० 7,90,000/–रूपये ओमप्रकाश यादव पुत्र रामदरश यादव सा० अतरौली करमौता थाना नगरा जनपद बलिया व संतोष कुमार सिंह पुत्र नमोनारायण सिंह नि० गंगहरा, थाना फेफना जनपद बलिया के समक्ष ओमप्रकाश यादव के विद्यालय पर संतोष, विनय व नरसिंह उपरोक्त को दिया गया। पैसा प्राप्त करने के बाद उपरोक्त सभी लोग एक राय व साजिश में होकर कहने लगे कि आपके बच्चे व साले की नौकरी गांव के स्कूल से लेकर सचिवालय तक कहीं न कहीं अवश्य करा दिया जायेगा। यह काम नौकरी दिलाने वाला उसके पिता जी के जमाने से चला आ रहा है और आज भी है। आपका पैसा सुरक्षित है, जब नौकरी पक्की हो जावेगी तभी आप लोगों का पैसा खर्च किया जावेगा, पैसा सुरक्षित है। काम नहीं होने की दशा में पैसा वापिस कर दिया जाता है। काफी समय उन लोगों के कथनानुसार बीतने पर कहीं नौकरी का अता– पता नहीं चला, तब उसके द्वारा पूंछताछ किये जाने पर उपरोक्त सभी लोग इधर–उधर की बातें करने लगे और पुनः कहे कि कहीं ना कहीं अथवा गांव स्थित अनुसूचित विद्यालय में ही क्लर्क की नौकरी दिला देने की बात कहे। बाद में वहां भी नौकरी की स्थिति ना बन पाने की सूरत में हिला–हवाली करने लगे, तब वह अपने को छला हुआ, विश्वास के साथ धोखा, षडयन्त्र का शिकार होना पाया और पैसा वापस पाने के लिए सभी पर दबाब बनाना प्रारम्भ किया तो विनय व संतोष के कहने पर नरसिंह उपरोक्त ने मु० 18 लाख रूपये का चेक संख्या–000039 दिनांक 20–01–2020 बंधन बैंक शाखा चचयाँ जनपद बलिया उसके नाम का दिया, जिसे उसने क्लीयरेन्स हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोहरी, प्रयागराज में दिया जो Drawers Signature differs का टिप्पणी करके दिनांक 28–01–2020 को वापस कर दिया गया। उक्त हस्ताक्षर भिन्न होने की बात जानकर उसको काफी मानसिक आघात लगा और उपरोक्त विनय वगैरह के षडयन्त्र, धोखा, कपट, छल, विश्वास के साथ घात, जाल फरेब की कार्यवाही की पूरी जानकारी हुई और उसने चेक उपरोक्त के बारे में बताया तो सभी लोग गाली–गलौज मारपीट व उसमें से कुछ पैसा खर्च करके जान मरवा देने की धमकियां देने लगे। पैसा वापस करने की पेशकश गांव के सम्भ्रान्त लोगों के सामने किया तो खेत लिखने की बात विनय गोयल ने नरसिंह उपरोक्त से कराने की बात कही, जिस पर वादी तैयार होकर जमीन लिखवाने के लिए तैयार हुआ तो स्टैम्प खरीदवाकर रजिस्ट्रार आफिस से उपरोक्त नरसिंह के पिता वीरन पुत्र सियार, रजिस्ट्री आफिस से भाग खडे हुये और उनके साथ के आये लोग भी गालियां व जान मारने की धमकियां देते हुये चले गये, जिससे पुनः उसको मु० 32,500/–रूपये दिनांक 14–07–20 को नुकसान हुआ। उक्त स्टाम्प उसके मित्र विश्वजीत कुमार पुत्र लालजी राम छिछोर बहराइच हलधरपुर

जनपद–मऊ के नाम से क्रय किया गया था। पैसा वापिस मांगे जाने की स्थिति में विनय, सन्तोष व नरसिंह व वीरन सभी लोग एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत मुल्जिमान बनाने की धमकियां दे रहे है तथा पैसा वापस करने से स्पष्ट मनाही कर रहे है। अतः उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4– वादी सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण व एक अन्य सह अभियुक्त वीरन राम के विरूद्ध दिनांक 30–07–2020 को समय 18.40 बजे थाना नगरा, जिला बलिया में धारा–419, 420, 406, 504 व 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियोग मु०अ०सं०–129/2020 पंजीकृत किया गया। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 31–01–2019 से दिनांक 22–07–2019 समय अदम तहरीर अंकित किया गया, परन्तु इसमें घटनास्थल, घटनास्थल से थाना की दूरी आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभियोग पंजीकृत किये जाने की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि थाने की जी०डी० में की गयी, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक शत्रुधन पाण्डेय के सुपुर्द की गयी, तदोपरान्त इस प्रकरण की विवेचना अन्य विवेचक उपनिरीक्षक शंकर यादव द्वारा भी की गयी।

5– विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया, साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा–161 द०प्र०सं० अंकित किये। अभियोग के विवेचनाधिकारी ने विवेचना की अन्य समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल, संतोष गोयल, वीरन राम के विरूद्ध धारा–419, 420, 406, 504, 506 भा०दं०सं० का अपराध प्रथम दृष्टया होना पाते हुए आरोप–पत्र संख्या–231/20 दिनांक 26–11–20 तथा सहअभियुक्त नरसिंह राम के विरूद्ध धारा–419, 420, 406, 504, 506, 467, 472, 120 बी भा०दं०सं० का अपराध प्रथम दृष्टया होना पाते हुये आरोप–पत्र संख्या–231 ए/2021 दिनांक 13–07–21 यथा प्रदर्श क–2 एवं क–3 विद्वान परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

6– अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल, संतोष गोयल, नरसिंह राम व वीरन राम को विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्तगण को अभियोजन प्रलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायी गयी। शाम्भवी यादव, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल व संतोष गोयल के विरूद्ध धारा–419, 420, 406, 504 एवं 506 भा०दं०सं० एवं अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह राम व वीरन राम के विरूद्ध धारा–419, 420, 406, 504, 506, 472, 467 एवं धारा–120 बी भा०दं०सं० के अपराध के आरोप पृथक–पृथक रूप से विरचित किये गये। अपीलार्थी/अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध विरचित आरोप को पढ़कर सुनाये जाने पर उनके द्वारा आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजनपक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में कुल 08 अभियोजन साक्षी यथा असा–1 वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, असा–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह (वादी मुकदमा का पुत्र), असा–3 सन्तोष सिंह, असा–4 ओमप्रकाश यादव, असा–5 मुख्य आरक्षी अशोक कुमार, असा–6 उपनिरीक्षक शंकर यादव, असा–7 उपनिरीक्षक शत्रुघ्न पाण्डेय तथा असा–8 सौमित्र गुप्ता को परीक्षित कराया

गया। अभियोजन द्वारा दिनांक 07–07–25 को पत्रावली पर अपना साक्ष्य समाप्त किये जाने पर पत्रावली अभियुक्तगण के कथन धारा–313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

8– दिनांक 14–07–25 को अपीलार्थी/अभियुक्तगण के बयान अन्र्तगत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। अपीलार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा अभियोजन पक्ष के कथानक एवं आरोप को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षीगण के द्वारा गलत बयान दिया जाना कहा है तथा उनकी प्रतिष्ठा हनन एवं धूमिल करने के लिए मनगढन्त मुकदमा किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य देने से मना किया गया है।

9– पत्रावली बहस हेतु नियत होने तथा आंशिक बहस सुनने के उपरान्त विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 09–09–25 को इस प्रकरण के जिला कारागार में निरूद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह राम का बयान न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में लेखबद्ध किया गया है।

10– प्रतिरक्षा में अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अभियुक्तगण संतोष एवं विनय गोयल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा–314 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित बहस का ज्ञापन पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा जानबूझकर ना ही उक्त लिखित बहस के ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने के तथ्य का उल्लेख अपने निर्णय में किया है और ना ही उक्त लिखित बहस में उल्लिखित आधारों पर कोई विचार ही अपने निर्णय में किया गया है।

11– विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने के उपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त आलोच्य निर्णय एवं आदेश दिनांकित 23–09–2025 के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण नरसिंह, विनय गोयल एवं संतोष गोयल को धारा–420 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को 4 वर्ष एवं 3 माह के कठोर कारावास एवं 40,000/– रूपये अर्थदण्ड से तथा धारा–120 बी भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000/– रूपये अर्थदण्ड से तथा धारा–504 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 6 माह के साधारण कारावास तथा धारा–506 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को 01 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डादिष्ट किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त दो माह के अन्दर वादी मुकदमा को या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसान को 6,00,000/– रूपये कुल 18,00,000/– रूपये बतौर प्रतिकर प्राप्त कराकर उसकी सूचना न्यायालय को देना सुनिश्चित करेंगे। इस आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 23–09–2025 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा पृथक–पृथक उपर्युक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

12– अपीलार्थी/अभियुक्त विनय गोयल के द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–105/2025 के साथ विनय गोयल एवं संतोष गोयल द्वारा न्यायालय श्रीमान् जिला एवं

सत्र न्यायाधीश, बलिया के समक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के न्यायालय में लम्बित उपरोक्त दाण्डिक वाद संख्या–3641/2020 सरकार बनाम विनय गोयल आदि धारा–419, 420, 504, 406, 506 भा०दं०सं० की पत्रावली को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–400/2025 कागज संख्या–11ख/1 लगायत 11ख/4 तथा इस स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर न्यायालय श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–09–25 की सत्यप्रति 10ख/1 लगायत 10ख/2 प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण विनय गोयल एवं संतोष गोयल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त विचारण न्यायालय के विरूद्ध दिनांक **16–09–25** को स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर करते हुए सम्बन्धित न्यायालय से आख्या आहूत किये जाने का आदेश पारित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक **31–10–25** की तिथि नियत की गयी थी। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक **23–09–25** को आलोच्य निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है।

13– विपक्षीगण की ओर से उपर्युक्त दाण्डिक अपीलों के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

14– अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपीलों के ज्ञाप में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर विस्तृत तर्क प्रस्तुत करते हुये इस तर्क पर अत्यधिक बल दिया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय में साक्ष्य एवं बहस की समाप्ति के पश्चात दिनांक 04–09–25 को निर्णय हेतु नियत की गयी, परन्तु दिन भर बीतने के पश्चात निर्णय की तिथि 09–09–25 नियत की गयी। नियत तिथि को विद्वान परीक्षण न्यायलय द्वारा 4.30 बजे पुकार करायी गयी। जेल से अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह को बुलाया गया और जेल से आये अभियुक्त नरसिंह को छोडकर शेष सभी अभियुक्तों एवं कोर्ट रूम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया, परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरसिंह का बयान लिखा गया और बयान समाप्ति के पश्चात शेष अभियुक्तों को बुलाकर निर्णय हेतु 18–09–25 को पुनः बुलाया गया, अपीलार्थीगण को ना तो न्यायालय साक्षी संख्या–1 के बयान की कोई प्रति दी गयी ना ही उससे प्रतिपरीक्षा करने का ही कोई अवसर अपीलार्थीगण को प्रदान किया गया। परीक्षण न्यायालय के इस कृत्य से अपीलार्थीगण के मन में उत्पन्न अविश्वास के कारण अपीलार्थीगण द्वारा श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के न्यायालय में टी०पी० संख्या–400/2025 दिनांक 16–09–2025 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय से आख्या आहूत की गयी तथा विद्वान परीक्षण न्यायलय को सूचित भी किया गया, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश के प्रति असम्मान की भावना प्रकट करते हुये नियत तिथि 18–09–25 को निर्णय भी उद्घोषित कर दिया गया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध, अन्यायिक, अविश्वसनीय एवं अनैतिक है, जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय पूर्वाग्रही एवं माननीय सत्र न्यायालय एवं न्याय के प्रति असम्मान की भावना से प्रेरित है, क्योंकि विद्वान परीक्षण न्यायालय के विरूद्ध टी०पी० प्रस्तुत किये जाने एवं माननीय सत्र. न्यायालय द्वारा आख्या आहूत किये जाने एवं उसकी सूचना प्राप्त हाने के पश्चात दिया गया, निर्णय है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा परीक्षित

साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया, बल्कि एक सहअभियुक्त को अपना साक्षी बनाकर उसके साक्ष्य पर आश्रित होकर उक्त निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया है तथा उस साक्ष्य के समय न्यायालय कक्ष को जनशून्य करा दिया जाना विधि विरूद्ध कृत्य है। अपीलार्थी विनय गोयल के विरूद्ध धारा–120 बी भा०दं०सं० का आरोप ही तय नहीं हुआ और उसी अपराध के लिए अपीलार्थी विनय गोयल को दण्डित किया गया है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि विरूद्ध, अन्यायिक, अविश्वसनीय एवं अनैतिक होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही आंकलन ना करते हुये अपीलार्थीगण को विधि विरूद्ध तरीके से दोषसिद्ध करते हुये कठोर कारावास, अर्थदण्ड व पृथक से प्रतिकर देने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि व्यवस्थाओं के विपरीत है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है, जिनके साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण के दौरान कोई निष्पक्ष साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय को दाण्डिक वाद में पृथक से वादी मुकदमा को प्रतिकर दिलाने का कोई विधिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि जहां रूपये के लेन–देन के सम्बन्ध में विवाद है वहां रूपया देने–लेने का प्रमाणित साक्ष्य आवश्यक है, जो पत्रावली पर नहीं है, विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया गया है। अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष गोयल के खाते में कोई पैसा आने का कथन किसी भी साक्षी ने नहीं किया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह उल्लिखित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा जमीन का बैनामा एवं रजिस्ट्री का आश्वासन वादी मुकदमा को दिया गया था, जिस पर विश्वास करते हुये वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय एन०आई० एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया जाना प्रतीत नहीं होता है यह कथन भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि बैनामा के सम्बन्ध मे जो साक्ष्य है उनमें अपीलार्थीगण की कोई भी संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है, केवल सम्भावना के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायलय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु पंचो का बयान करना आवश्यक नहीं है, यह कथन सरासर गलत है, क्योंकि अभियोजन का परम कर्तव्य है कि अपने कथानक को सन्देह से परे सभी तथ्यों को साबित करें। कोई भी तथ्य अभियेजन पक्ष साबित करने में विफल रहता है तो उसका कथन सन्देहास्पद माना जायेगा, जिसका लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होगा। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष गोयल को अपीलार्थी नरसिंह के बयान के आधार पर और अपीलार्थी नरसिंह को उसके ही न्यायालय साक्षी के रूप में जबरदस्ती लिखे गये बयान के आधार पर ही सम्भावना के आधार पर दोषी माना गया है, जबकि ना तो अभियोजन की ओर से अभियुक्त नरसिंह का बयान न्यायालय साक्षी के रूप में लेखबद्ध किये जाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया ना ही स्वयं अभियुक्त नरसिंह ने अपने अपराध स्वीकार करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना–पत्र विद्वान परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि वह अपना बयान न्यायालय में स्वेच्छया से देने हेतु तत्पर है, ना ही उसका बयान विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किये जाने हेतु कोई विधिवत आदेश पारित किया गया ना ही उसे न्यायालय साक्षी के रूप में न्यायलय में प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई आदेशिका जारी की गयी, ना ही अन्य सहअभियुक्तगण को ही अवगत कराया गया ना इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति आहूत की गयी। किन परिस्थितियों में अभियुक्त नरसिंह का बयान न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में न्यायालय को लेखबद्ध करने की आवश्यकता उत्पन्न हुयी या किन परिस्थितियों में उसका बयान लिखा जाना

आवश्यक था, विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा सहअभियुक्तगण या उनके विद्वान अधिवक्ता को मौखिक या लिखित रूप से आदेश–पत्रक के माध्यम से अवगत नहीं कराया गया और ना ही तत्सम्बन्धी कोई आपत्ति ही आमन्त्रित की गयी। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस विधिक सिद्धान्त का भी कोई पालन नहीं किया गया कि जब किन्ही परिस्थितियों में अभियुक्त नरसिंह राम द्वारा अपने बयान में अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करने का कथन किया जा रहा था, तब उसको न्यायालय द्वारा यह विशिष्ट रूप से अवगत कराया गया हो कि उसके स्वयं के बयान के आधार पर ही उसकी दोषसिद्धि की जा सकती है, ऐसा भी कोई उल्लेख सहअभियुक्त नरसिंह राम के न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में बयान लेखबद्ध किये जाने के दौरान उसके बयान में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया हो, परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेश–पत्रों अथवा अपीलार्थी के बयान से दर्शित नहीं होता है, उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी नरसिंह राम का बयान लेखबद्ध करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा ना तो अन्य सहअभियुक्तगण को न्यायालय साक्षी संख्या–1 से जिरह करने का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही ऐसा कोई उल्लेख न्यायालय साक्षी संख्या–1 के बयान के उपरान्त ही उल्लिखित किया गया है कि अन्य सहअभियुक्तगण को न्यायालय साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनकी ओर से न्यायालय साक्षी संख्या–1 से जिरह करने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। न्यायालय साक्षी से अन्य सहअभियुक्तगण की प्रतिपरीक्षा समाप्त कर दी गयी हो, ऐसा भी कोई उल्लेख ना तो उक्त न्यायालय साक्षी संख्या–1 के बयान के उपरान्त विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उल्लिखित किया गया ना ही उक्त दिनांक की आर्डरशीट में ही ऐसा कोई उल्लेख किया गया है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्को को विस्तारित करते हुये यह भी तर्क दिये गये कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा न्यायालय साक्षी संख्या–1 के बयान चुपचाप अन्य सहअभियुक्तगण को न्यायालय कक्ष से बाहर निकाल दिये जाने के उपरान्त स्वयं लेखबद्ध कर लिये जाने के उपरान्त पत्रावली में पक्षकारों की बहस हेतु कोई भी अग्रिम तिथि भी प्रदान नहीं की गयी और पत्रावली सीधे निर्णय हेतु नियत कर दी गयी। अपीलार्थीगण को बहस हेतु कोई समय उक्त तिथि को प्रदान किया गया हो, ऐसा उक्त दिनांक के आदेश–पत्रक में भी उल्लिखित नहीं किया गया है, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अन्यथा कारणों से प्रभावित होकर पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई ठोस व युक्तिसंगत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत ना कर पाने के कारण येन–केन प्रकरेण अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने के दुराशय से अकारण ही न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में नरसिंह राम का बयान कानून एवं विधि व्यवस्थाओं का पूर्णतया उल्लंघन करते हुये और इससे भी अधिक अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान परीक्षण न्यायालय में लम्बित उक्त आपराधिक प्रकरण के किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के न्यायालय में लम्बित अन्तरण प्रार्थना–पत्र के लम्बन काल के दौरान उक्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र की पूर्ण जानकारी होते हुये उक्त निर्णय व आदेश अत्यन्त जल्दबाजी में पारित किया गया है, जो विधि का स्पष्टतया उल्लंघन करते हुये पारित किया गया है, जिस कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मौखिक रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभास है। वादी मुकदमा द्वारा लिखायी गयी तहरीर में घटना की कोई तिथि, समय या स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है। वादी मुकदमा व अभियुक्तगण थाना रसडा के निवासी है, घटना भी थाना रसडा की बतायी जाती है, परन्तु आश्चर्यजनक रूप से प्रकरण का अभियोग थाना रसडा में पंजीकृत ना कराकर थाना नगरा में वादी मुकदमा द्वारा पंजीकृत कराया गया है, इसका कोई भी

कारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि वास्तविक घटना के प्रति गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है। वादी मुकदमा व उसके पुत्र की साक्ष्य में यह आया है कि कथित घटना के समय वादी मुकदमा का पुत्र अभियोजन साक्षी संख्या–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह अवयस्क था, जिसकी नौकरी के सम्बन्ध में कथित रूपये का लेन–देन अभियोजन कहकर आया है, जब राघवेन्द्र प्रताप सिह अवयस्क था तो उसकी नौकरी कहीं भी लगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा जो कि स्वयं सरकारी सेवा में है, उसे उक्त तथ्य की जानकारी भी है, तब उसके द्वारा अपने पुत्र की नौकरी भविष्य में लगने की सम्भावना को देखते हुये अभियुक्तगण को कथित रूपये एडवांस में दिया जाना ना तो स्वाभाविक प्रतीत होता है और ना ही सत्य प्रतीत होता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में अपने अतिरिक्त अन्य लोगों से भी रूपया लेकर अभियुक्तगण को देना कहा है, परन्तु उनमें से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है और ना ही उन्हें साक्षी ही बनाया गया है, जिससे अभियोजन कथानक पूर्णतया संदिग्ध हो जाता है। वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार उसके द्वारा विभिन्न तिथियों पर आर०टी०जी०एस० व नेफ्ट के माध्यम से नरसिंह राम के खाते में भिजवाये गये, परन्तु ऐसे किसी आरटीजीएस या नेफ्ट की कोई प्रति पत्रावली पर उसके द्वारा साक्ष्य से साबित नहीं की गयी है। उसके द्वारा अपने किस खाते से उक्त रूपये भिजवाये गये, अपने खाते की पासबुक की प्रति या खाता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को 7,90,000/–रूपये नकद दिया गया तो केवल एक ही अभियुक्त नरसिंह राम के खाते का चेक 18 लाख रूपये का किन परिस्थितियों में प्राप्त कर लिया गया और क्यों प्राप्त किया गया, जबकि नकद रूपया तो उसके कथननुसार उसने तीनों अभियुक्तों को दिया था तो उनसे बराबर–बराबर धनराशि का चेक प्राप्त किया जाता।विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई निरीक्षण किया गया हो, उनकी ही साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना यह भी जानने का प्रयास नहीं किया गया कि वादी मुकदमा ने अपने किस खाते से किस दिनांक को कितने रूपये निकाले अथवा किस खाते को अपने खाते से किस दिनांक को कितने रूपये आर०टी०जी०एस० या नेफ्ट के माध्यम से अंतरित किये। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह राम द्वारा निर्गत चेक इस कारण बैंक से वापिस हुआ कि उस पर निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न थे, इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी संख्या–8 सौमित्र गुप्ता शाखा प्रबन्धक बंधन बैंक द्वारा अपने बयान में यह स्वीकार किया गया है कि चेक पर सिग्नेचर का डिफर होना कोई भी अपराध नहीं है। ऐसे में यदि उक्त चेक पर चेक निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न थे तो यह अत्यन्त स्वाभाविक था कि वादी मुकदमा पुनः दूसरा चेक निर्गत करने या हस्ताक्षर पुनः चेक पर करने हेतु चेक निर्गतकर्ता अपीलार्थी से कहता, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया ना ही वह इस हेतु उसके पास गया, उसका यह कृत्य अत्यन्त अस्वाभाविक व अनैसर्गिक प्रतीत होता है। यह तथ्य भी अभियोजन कथानक के प्रति गहरा सन्देह उत्पन्न करता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि वास्तव में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके साले की किस पद पर किस विभाग में और किस जनपद में नौकरी लगवाये जाने की बात कही गयी और इस स्पष्टीकरण के बिना केवल भविष्य में कहीं नौकरी लगवाये जाने के एवज में वादी मुकदमा एक शिक्षित सरकारी सेवारत कर्मचारी द्वारा रूपये का भुगतान किया जाना किसी भी प्रकार सत्य व विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि वादी मुकदमा द्वारा कथित रूपये अभियुक्तगण को दिये गये थे तो जमीन का बैनामा भी वादी मुकदमा द्वारा अपने या अपने पुत्र या अपनी पत्नी

के नाम कराया जाना स्वाभाविक था, परन्तु कथित बैनामा कराये जाने हेतु अपने मित्र विश्वजीत के नाम से स्टाम्प क्रय किया जाना उसके ही कथन और अभियोजन कथानक के प्रति गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है। उक्त कथित क्रय किये गये स्टाम्प को भी ना तो विवेचक ने देखा और ना ही उनकी कोई प्रति ही पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है, जिससे यह दर्शित होता है कि घटना वास्तव में उस प्रकार घटित नहीं हुयी जैसा कि अभियोजन कथानक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण अभियोजन कथानक गम्भीर त्रुटियों, पारस्परिक विरोधाभास होने एवं अतिश्योक्तिपूर्ण एवं असत्य होने के कारण पूरी घटना संदिग्ध हो जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार ना करके केवल काल्पनिक और अनुमान और अटकलों के आधार पर उक्त निर्णय व आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से उपरोक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23–09–25 अपास्त कर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

15– प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के साथ वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधि संगत है तथा साक्ष्यानुरूप है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का समग्र अवलोकन करने के उपरान्त विधिनुकूल निर्णय पारित किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय के विरूद्ध श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के समक्ष प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किये गये सी०डब्लू०–1 नरसिंह राम के कथन के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तर्क दिया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया गया, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। तद्नुसार अपील निरस्त करने की याचना की गयी।

16– इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं उनकी सहायता कर रहे वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं आलोच्य निर्णय व आदेश तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय की आहूत मूल पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

17– अपील से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा–420, 120 बी, 504 व 506 भा०दं०सं० के अपराध में परीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये विभिन्न कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

18– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में धारा–420 को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

420– छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करनाः– जो कोई छल करेगा, और तद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दें या नष्ट कर दें, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी

अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

'छल' को भा०दं०सं० की धारा–415 में परिभाषित किया गया है तथा धारा–415 भा०दं०सं० की परिभाषा छल के निम्न आवश्यक तत्व प्रस्तुत करती है:–

(1) किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाये और उस प्रवंचन द्वारा–

(2) (क) उस व्यक्ति को धोखा और बेईमानी के साथ

(1) किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त करने, अथवा

(2) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति प्रतिधारण करने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित किया जाये, या

(ख) साशय उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करने अथवा करने में लोप करने लिए उत्प्रेरित किया जाये, जिसको वह व्यक्ति यदि प्रवंचित न किया जाता, तो ना करता या करने में लोप ना करता। साथ ही साथ ऐसा करने या करने में लोप करने के कारण उस व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, ख्याति या सम्पत्ति को क्षति अथवा अपहानि भी कारित हुयी हो।

19– भारतीय दण्ड संहिता की धारा–120 बी निम्न प्रकार परिभाषित की गयी है:–

120 बी– आपराधिक षड्यन्त्र का दण्डः–

(1)– जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षडयन्त्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयन्त्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2)– जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आपराधिक षडयन्त्र से भिन्न किसी आपराधिक षडयन्त्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

20– भा०दं०सं० की धारा–504 निम्न प्रकार परिभाषित की गयी है:–

धारा–504 भा०दं०सं०– लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान का उपबन्ध करती है जो निम्नवत् है:– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

21– भा०दं०सं० की धारा–506 निम्न प्रकार परिभाषित की गयी है:–

धारा–506 भा०दं०सं०:– आपराधिक अभित्रास के लिए दण्डः– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, आपराधिक अभित्रास के लिए दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किये जाने के दण्ड का प्राविधान करती है तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो तो उसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

22– अब विचारणीय यह है कि क्या परीक्षण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–420, 120 बी, 504 व 506

भा०दं०सं० का अपराध सन्देह की प्रत्येक युक्तियुक्त सीमा से परे साबित करने में सफल रहा है तथा क्या परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करके साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये आलोच्य निर्णय व आदेश पारित किया गया है।

23– गोवरी शंकरा स्वामीगुला प्रति कर्नाटक राज्य ए०आई०आर० 2008 सुको 2349, मध्यप्रदेश राज्य प्रति बच्चूदास उर्फ बालाराम 2007 (57) ए०सी०सी० 540 सुको एवं **भारथी उर्फ सुखदेव सिंह प्रति पंजाब राज्य जटु 1991 (5) सुको 217** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय की शक्तियां अपील के सम्बन्ध में व्यापक है तथा अपीलीय न्यायालय अभियुक्त की दोषिता एवं निर्दोषिता के सम्बन्ध में स्वयं के निर्णय हेतु समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने हेतु सक्षम है।

24– विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के विवेचक से पूर्व इस स्तर पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय/आदेश के प्रस्तर–8 में पक्षकारों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अनुशीलन करने का उल्लेख करने के उपरान्त प्रस्तर–9 में अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुरेन्द्र बहादुर सिह की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–10 में अभियोजन साक्षी संख्या–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–11 में अभियोजन साक्षी संख्या–3 संतोष सिंह की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–12 में अभियोजन साक्षी संख्या–4 ओमप्रकाश यादव की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–13 में अभियोजन साक्षी संख्या–5 आरक्षी अशोक कुमार की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–14 में अभियोजन साक्षी संख्या–6 उपनिरीक्षक शंकर यादव की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–15 में अभियोजन साक्षी संख्या–7 शत्रुघ्न पाण्डेय की मुख्य परीक्षा, प्रस्तर–16 में अभियोजन साक्षी संख्या–8 सौमित्र गुप्ता की मुख्य परीक्षा जो कि न्यायालय द्वारा लेखबद्ध की गयी, वर्णित की गयी है, परन्तु उनकी प्रतिपरीक्षा में कोई विरोधाभास पाया गया अथवा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनसे जो प्रतिपरीक्षा की गयी तो उनकी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में क्या अन्तर आया और न्यायालय द्वारा उनकी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों का विवेचन किस प्रकार किया गया, उनमें किस प्रकार का विरोधाभास आया अथवा नहीं या उनकी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा एक–दूसरे के समरूप रही या सम्पुष्ट या असम्पुष्ट रही, इसका कोई तर्कपूर्ण उल्लेख ना करके विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा केवल एक पंक्ति सभी साक्षियों की मुख्य परीक्षा के अन्त में यह लिखकर कि "इस साक्षी के जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे साक्षी पर अविश्वास किया जा सके।" अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गयी जो इस तथ्य को दर्शाता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षीगण की सम्पूर्ण साक्ष्य अर्थात मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा की साक्ष्य को एक साथ ना पढकर केवल मुख्य परीक्षा की साक्ष्य को ही आधार बनाकर एक निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचते हुये दोषसिद्धि का मत बनाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय का यह दायित्व था कि उनके द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के आलोक में अभियोजन साक्षीगण की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय पारित किया जाता, परन्तु केवल एक पंक्ति लिखकर ही अभियोजन साक्षीगण की मुख्य परीक्षा के आधार पर ही किसी को दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं माना जा सकता है।

25– अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस आपराधिक प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्बित है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विलम्ब का कोई भी युक्तिसंगत कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुये यह कहा गया कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरितता से वादी मुकदमा द्वारा पंजीकृत करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन सभी तथ्यों का समावेश है, जो अपराध गठित होने के लिए आवश्यक थे। अतः अभियुक्तगण इस तर्क का कोई लाभ पाने के पात्र नहीं है। उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

26– जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में विधिक स्थिति का प्रश्न है तो आपराधिक न्याय शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार दाण्डिक मामलों में प्र०सू०रि० पूरे अभियोजन कथानक की आधार शिला होती है। पूरा अभियोजन मामला इसी पर आधारित होता है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट सत्यता पर आधारित और विश्वसनीय है तो उसका साक्ष्यिक मूल्य अत्यधिक होता है। जहां तत्परता से दर्ज कराई गई प्र०सू०रि० सत्य मानी जाती है और न्यायालय का विश्वास प्रेरित करती है वहीं विलम्बित प्र०सू०रि० सन्देह की दृष्टि से देखी जाती है और पूरे अभियोजन मामले को संदिग्ध बनाती हैं। लेकिन यह भी सुव्यवस्थित है कि मात्र विलम्ब के कारण ही अभियोजन मामला संदिग्ध नहीं होता । यदि इसे निकटस्थ पुलिस थाना पर यथाशीघ्र ज्ञात तथ्यों के साथ दर्ज कराया जाये और इसे न्यायालय में साबित किया जाये तो यह अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण अभिकथनों की मेरूरज्जू होती है। अब यह विचारित किया जाना है कि क्या इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरूरज्जू इस प्रकरण में साबित हुयी है अथवा नहीं?

27– सर्वप्रथम यह विचारणीय है कि क्या इस आपराधिक प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरितता से लिखायी गयी है अथवा सोच–विचारकर अत्यन्त विलम्ब से लिखायी गयी है और क्या विलम्ब से लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई समुचित और पर्याप्त कारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

28– पत्रावली पर तहरीर वादी प्रदर्श क–1 के रूप में वादी सुरेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित की गयी है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 31–01–2019 से लेकर 20–07–2020 तक दर्शित किया गया है, परन्तु इसमें घटनास्थल एवं घटनास्थल से थाना की दूरी आदि का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है, बल्कि थाना से घटनास्थल की दूरी **उपलब्ध नहीं** का उल्लख करते हुये पता के आगे भिन्न–भिन्न दर्शित किया गया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नगरा, जिला बलिया पर दिनांक 30–07–2020 को पंजीकृत किया जाना चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट से दशित होता है दिनांक 20–07–2019 से लेकर दिनांक 30–07–2020 अर्थात् लगभग एक वर्ष उपरान्त यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से किन परिस्थितियों में थाना रसड़ा, जिला बलिाय के वादी द्वारा थाना रसडा के स्थान पर थाना नगरा में लिखायी गयी, इसका कोई भी कारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन ने नहीं दिया है।

29– अब यह विचारणीय है कि क्या इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आपराधिक घटना की मेरुरज्जू साबित होती है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **मोहम्मद अली अलगिटार बनाम उ०प्र० राज्य 2013 (83) ए०सी०सी० 551 (इलाहाबाद)**, की विधि व्यवस्था पर बल देते हुये यह तर्क दिया गया कि एफ०आई०आर० बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र है, यह अभियोजन कहानी का आधार है। एक बार संदिग्ध हो जाये, सम्पूर्ण कहानी संदिग्ध हो जाती है, ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **रामसूरत यादव उर्फ लवकुश यादव बनाम उ०प्र० राज्य 2010(1) एल०सी०आर०आर० (एच०सी०) 568**, की विधि व्यवस्था का आश्रय लेते हुये यह तर्क दिया गया कि जब एफ०आई०आर० वादी के बोलने के अनुसार लिखा जाना साबित नहीं होता है तो पूरा अभियोजन कथानक ध्वस्त हो जाता है। वादी मुकदमा/प्रत्यर्थी संख्या–2 सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा लिखायी गयी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अनुसार वह ग्राम पटना थाना रसडा, जनपद बलिया का निवासी है, अभियुक्तगण विनय गोयल व संतोष गोयल ग्राम कोटियां कुरेम, थाना रसडा के निवासी है। इन्हीं दोनों व्यक्तियों से वादी मुकदमा की अपने पुत्र व साले को नौकरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में बातचीत होने व रूपये के आदान–प्रदान होने का उल्लेख तहरीर में किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में ए०एस०आई० के पद पर है। उसने यह जानते हुये भी कि रिश्वत लेना–देना अपराध है, इसके बाबजूद भी उसने नौकरी के लिए रिश्वत दी। नौकरी की बात विनय गोयल के घर के पास जो अम्बेडकर विद्यालय है, वहां पर बात की थी, ग्रामसभा कुरेम का थाना रसडा ही है। उसने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी रिपोर्ट लिखाने थाना नगरा गया, क्योंकि रिपोर्ट किसी थाने में लिखायी जा सकती है। वह रसडा थाना नहीं गया। उसने यह स्वीकार किया है कि उसकी ससुराल पक्ष के लोग प्रभावशाली हैं, परन्तु उसने अभियुक्तगण की ओर से दिये गये सुझाव से इन्कार करते हुये यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसकी ससुराल वालों के प्रभाव में थाना नगरा की पुलिस थी। जब इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी संख्या–5 आरक्षी अशोक कुमार से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी तो उसने कथन किया है कि *"सामान्यतया अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाली घटना की ही एफ०आई०आर० दर्ज की जाती है। किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित घटना की रिपोर्ट बिना किसी उच्चाधिकारी के निर्देश के एफ०आई०आर० नहीं लिखी जायेगी।"* उसने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"वादी मुकदमा मेरे यहां प्रार्थना–पत्र लेकर अकेले आया था। जो प्रार्थना–पत्र दिया उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया था।"* इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध शिकायती प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–1 के अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रार्थना–पत्र पर पुलिस के किसी भी उच्चाधिकारी का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा थानाध्यक्ष नगरा को प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर थाना रसडा के स्थान पर थाना नगरा में अभियोग पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया हो, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट जीरो अपराध संख्या पर भी दर्ज नहीं है। ऐसे में यह तथ्य अभियोजन कथानक के प्रति अत्यन्त ही गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है कि जब वादी मुकदमा व अभियुक्तगण ना तो ग्राम नगरा के निवासी हैं और ना ही घटनास्थल ही ग्राम नगरा में दर्शित किया गया है तो किन परिस्थितियों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के थाना नगरा में वादी मुकदमा के प्रार्थना–पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना करने के उपरान्त विवेचक द्वारा भी आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया, जबकि आरक्षी अशोक कुमार अभियोजन साक्षी संख्या–5 द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि *"किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित घटना*

की रिपोर्ट बिना किसी उच्चाधिकारी के निर्देश के एफ०आई०आर० नहीं लिखी जायेगी।" यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह रिपोर्ट लिखाने थाना रसडा नहीं गया, तब वह किन परिस्थितियों में थाना रसडा ना जाकर थाना नगरा गया और किन परिस्थितियों में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बिना किसी सक्षम उच्चाधिकारी के आदेश के चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मय अपराध संख्या के पंजीकृत की गयी और उसकी विवेचना भी बिना किसी सक्षम उच्चाधिकारी के विवेचक द्वारा करने के उपरान्त आरोप–पत्र भी प्रेषित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में यदि उल्लिखित घटनास्थल देखा जाये तो इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि "हम प्रार्थी तैयार होकर जमीन लिखवाने के लिए तैयार हुआ तो स्टाम्प खरीदवाकर रजिस्ट्रार आफिस से उपरोक्त नरसिंह के पिता बीरन पुत्र सियार रजिस्ट्री आफिस से भाग खडे हुये और उनके साथ के आये लोग भी गालियां व जान से मारने की धमकियों देते हुये चले गये।" इस सम्बन्ध में जब वादी मुकदमा के पुत्र राघवेन्द्र अभियोजन साक्षी संख्या–2 से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी तो उसने स्पष्ट कथन किया है कि *"हम लोगों को धमकी रजिस्ट्री आफिस रसडा में दिये थे वहीं पर मां–बहन की गाली व एस०सी०/एस०टी० के मुकदमें की धमकी व जान मारने की धमकी दिये थे।"* इससे भी घटनास्थल थाना रसडा के अर्न्तगत ही उत्पन्न होना दर्शित होता है, परन्तु तहरीर तब भी वादी द्वारा थाना रसडा पर नहीं दी गयी। यदि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट जीरो नम्बर पर पंजीकृत करके थाना नगरा द्वारा सम्बन्धित थाना रसडा को विवेचना हेतु प्रेषित कर दी जाती, तब स्थिति भिन्न हो सकती थी, परन्तु इस प्रकरण में तो अभियोजन साक्ष्य से यही दर्शित नहीं होता है कि जब वादी मुकदमा व अभियुक्तगण ना तो ग्राम नगरा के निवासी हैं और ना ही घटनास्थल ही ग्राम नगरा के क्षेत्रान्र्तगत स्थित है और ना ही घटना का कोई कारण ग्राम थाना नगरा के क्षेत्रान्र्तगत उत्पन्न हुआ, तब किन परिस्थितियों में उक्त थाना नगरा में अभियोग बिना सक्षम उच्चाधिकारी के पंजीकृत कर लिया गया, इस सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत ना किया जाना प्रकरण की घटना की सत्यता के सम्बन्ध में अत्यन्त घोर अविश्वास उत्पन्न करता है, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में घटना उस प्रकार घटित नहीं हुयी जैसा कि अभियोजन कथानक व साक्ष्य है। यह विधिक कमी व त्रुटि इस प्रकरण की वास्तविकता एवं सत्यता के प्रति गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के पात्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बलयुक्त प्रतीत होता है कि एक साजिश के तहत उक्त प्रकरण की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नगरा में केवल अपीलार्थीगण पर दबाब बनाने एवं उन्हें झूठा संलिप्त करने के आशय से पंजीकृत करायी गयी है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से इस आपराधिक प्रकरण की तहरीर/शिकायती प्रार्थना–पत्र इस प्रकरण की मेरूरज्जू निर्मित नहीं हो सकी है। अतैव अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को में बल प्रतीत होता है, जिसका लाभ अपीलार्थी/अभियुक्तगण पाने के पात्र है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ना तो साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया है और ना ही कोई विश्लेषण करते हुये निष्कर्ष दिया गया है।

30– अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण के पास कथित घटना कारित करने का कोई हेतुक ही नहीं था और जो हेतुक वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है, उस हेतुक को अभियोजन पक्ष सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि किसी भी आपराधिक घटना का कोई न कोई हेतुक अवश्य होता है, परन्तु इस घटना

कारित करने का जो हेतुक अभियोजन पक्ष/वादी द्वारा दर्शाया गया, उसे अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से साबित नहीं कर सका है, तब ऐसे में बिना किसी हेतुक के अभियुक्त द्वारा ऐसी गम्भीर घटना कारित किया जाना ना तो सम्भव था और ना ही ऐसा कोई कारण या उद्देश्य ही था। अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में **संत कुमार बनाम राज्य 1982 एल०सी०आर०आर० 400 इलाहाबाद** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत करते हुये यह तर्क दिया गया कि घटना किये जाने का कोई तात्कालिक हेतुक नहीं था। स्वतन्त्र साक्षी मौजूद थे, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया, तब ऐसे मामलों में अभियोजन साक्षियों के बयानों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना चाहिए। विधि व्यवस्था **प्रफुल्ल सुधाकर बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र ए०आई०आर०–2016 एस०सी० 3107** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि हर एक अपराध किये जाने की भी कोई मंशा होती है और मंशा को साबित करना अभियोजन द्वारा अनिवार्य होता है, जिससे यह साबित हो सके कि अपराध क्यों कारित किया गया, परन्तु यदि अभियोजन के पक्ष में स्वतन्त्र साक्ष्य है तो अपराध कारित करने की मंशा का साबित होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अभियोजन वाद के समर्थन में अभियोजन को अपराध कारित करने की मंशा का साबित करना महत्वपूर्ण होगा। **ओमवती बनाम महेन्द्र सिंह व अन्य 1998 सी०आर० (सुप्रीम कोर्ट) पेज 55** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि सदैव अभियोजन को हेतुक का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु जहां अभियोजन की तरफ से हेतुक का उल्लेख किया गया हो, वहां पर हेतुक का अभियोजन साक्षीगण को पूर्णतया प्रमाणित करना दोषसिद्धि के लिये आवश्यक है। अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त तर्कों का विरोध किया गया।

बादाम सिंह प्रति महाराष्ट्र राज्य, 2004 सी०आर०एल० जे०, पेज 22 एस०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि यदि विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य व प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी मामले में उपलब्ध है, तब मोटिव अपना महत्व खो देता है। यदि मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न होता है, तब मोटिव का महत्व अभियोजन पक्ष की सत्यता होने के सम्बन्ध में विचार किये जाने के सम्बन्ध में, महत्वपूर्ण होता है। उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

31– हेतुक के सम्बन्ध में यदि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना–पत्र एवं उसके आधार पर पंजीकृत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया जाये तो यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा उससे धोखा–धडी व छल करके कथित रूपये इस आधार पर प्राप्त किये गये वे उसके पुत्र की नौकरी लगवा देंगें, साथ ही उसके पुत्र के मामा की भी नौकरी लगवा देंगें, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय के प्रस्तर–22 में **यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि कथित घटना के समय वादी मुकदमा का पुत्र अवयस्क था** तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय वादी मुकदमा द्वारा अपीलार्थीगण व सहअभियुक्त को कथित धनराशि दिया जाना कहा गया है, उस समय ना तो किसी नौकरी का कोई विज्ञापन हुआ था ना ही वादी मुकदमा के पुत्र व उसके मामा के द्वारा कहीं किसी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई फार्म भरा गया और ना ही किसी परीक्षा में सम्मिलित होना ही कहा गया है। स्वयं अभियोजन साक्षी–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने किसी परीक्षा हेतु कोई फार्म नहीं भरा था। चन्दन सिंह जो कि वादी मुकदमा का साला है, की मृत्यु हो चुकी है। उसने भी किसी पद हेतु कोई आवेदन कही किया हो, अभियोजन साक्ष्य से स्प्ष्ट नहीं होता है। अपीलार्थीगण ने किस विशिष्ट नौकरी को दिलाये जाने का आश्वासन दिया, यह भी अभियोजन साक्ष्य से साबित

नहीं होता है ना ही वादी या उसका पुत्र या तथ्य के अन्य दो साक्षी असा–3 व 4 की साक्ष्य से ही यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में वादी मुकदमा के पुत्र को किस पद की नौकरी दिलाये जाने का आश्वासन अपीलार्थीगण द्वारा दिया गया था। जिस स्कूल में लिपिक की नौकरी दिलाये जाने का कथन असा–2 द्वारा किया गया है, उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित होता है कि उस विद्यालय में लिपिक का ना तो कोई पद सृजित है और ना ही कोई वैकेंसी निकली थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को कथित धनराशि दिये जाने अथवा अपीलार्थीगण द्वारा छल करके वादी मुकदमा से कथित धनराशि प्राप्त करने का कोई प्रयोजन ही अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से ना तो साबित हो सका है और ना ही दर्शित करने में अभियोजन साक्षीगण सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क बलयुक्त प्रतीत होता है, जिसका लाभ अपीलार्थीगण पाने के पात्र है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विश्लेषण करते समय इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही साक्ष्य का विवेचन ही किया गया है।

32– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क के आलोक में कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के अथवा बिना किसी पक्षकार के प्रार्थना–पत्र के स्वयं ही अपीलार्थी नरसिंह राम का बयान न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दर्ज कर लिया गया और जब किन्ही परिस्थितियों में अभियुक्त नरसिंह राम द्वारा अपने बयान में अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करने का कथन किया जा रहा था, तब उसको न्यायालय द्वारा यह विशिष्ट रूप से उसे अवगत कराया जाना आवश्यक था कि उसके स्वयं के बयान के आधार पर ही उसकी दोषसिद्धि की जा सकती है, ऐसा भी कोई उल्लेख सहअभियुक्त नरसिंह राम के न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में बयान लेखबद्ध किये जाने के दौरान उसके बयान में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा ना तो किया गया और ना ही अन्य सहअभियुक्तगण को उक्त से कोई प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया गया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के **आदेश–पत्र दिनांक 09–09–25 से यह भी प्रमाणित होता है कि जिला कारागार में निरूद्ध सहअभियुक्त नरसिंह राम का कथन लेखबद्ध करने के उपरान्त पक्षकारों की कोई बहस नहीं सुनी गयी, बल्कि बहस सुने बिना पत्रावली सीधे दिनांक 18–09–25 को निर्णय हेतु नियत करके दिनांक 18–09–25 को निर्णय पारित कर दिया गया**, ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायलय द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना जल्दबाजी में केवल अभियुक्तगण को दोषी करार दिये जाने के आशय से दोषसिद्धि का मन बनाकर शीघ्रता में किसी अन्य मन्तव्य से निर्णय पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के ज्ञाप में ही यह आधार उल्लिखित किया गया है कि नियत तिथि को विद्वान परीक्षण न्यायलय द्वारा 4.30 बजे पुकार करायी गयी। जेल से अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह को बुलाया गया और जेल से आये अभियुक्त नरसिंह को छोडकर शेष सभी अभियुक्तों एवं कोर्ट रूम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरसिंह का बयान लिखा गया और बयान समाप्ति के पश्चात शेष अभियुक्तों को बुलाकर निर्णय हेतु 18–09–25 का पुनः बुलाया गया। अपीलार्थीगण को ना तो न्यायालय साक्षी संख्या–1 के बयान की कोई प्रति दी गयी ना ही उससे प्रतिपरीक्षा करने का ही कोई अवसर अपीलार्थीगण को प्रदान किया गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय के इस कृत्य से अपीलार्थीगण के मन में उत्पन्न अविश्वास के कारण अपीलार्थीगण द्वारा श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के न्यायालय में स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–400/2025 दिनांक 16–09–2025 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय से आख्या दिनांक 31–10–25 के लिए आहूत की गयी तथा विद्वान परीक्षण न्यायलय को सूचित

भी किया गया, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश के प्रति असम्मान की भावना प्रकट करते हुये स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई हेतु नियत दिनांक 31–10–25 से पूर्व ही दिनांक 18–09–25 को निर्णय भी उद्घोषित कर दिया गया। तर्क दिये गये है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध, अन्यायिक, अविश्वसनीय एवं अनैतिक है, जो निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया, बल्कि एक सहअभियुक्त को अपना साक्षी बनाकर उसके साक्ष्य पर आश्रित होकर उक्त निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया है तथा उस साक्ष्य के समय न्यायालय कक्ष को जनशून्य करा दिया जाना विधि विरूद्ध कृत्य है। उपरोक्त तर्कों के आलोक में विद्वान परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के आदेश–पत्रों के अवलोकन से इतना तो स्पष्ट दर्शित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा एकाएक नियत तिथि 09–09–2025 को अपीलार्थी/अभियुक्त नरसिंह राम का बयान न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में लेखबद्ध किया गया, परन्तु उक्त अपीलार्थी/अभियुक्त का बयान न्यायहित में लेखबद्ध किया जाना किन परिस्थितियों में अचानक ही विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष आवश्यक हो गया, इसका कोई कारण आदेश–पत्र में उल्लिखित नहीं किया गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 09–09–2025 के आदेश–पत्र में जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्त नरसिंह को जिला कारागार से बुलाकर न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में बयान लेखबद्ध करने के उपरान्त सीधे पत्रावली निर्णय हेतु नियत करने का उल्लेख किया गया। इस तिथि को ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया कि अपीलार्थीगण को उक्त दिनांक को लेखबद्ध किये गये अभियुक्त साक्षी के साक्ष्य पर बहस हेतु कोई अग्रिम तिथि प्रदान की गयी अथवा दिनांक 09–09–25 को न्यायालय साक्षी संख्या–1 का साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त अपीलार्थीगण की बहस सुनी गयी हो। आदेश दिनांकित 09–09–25 के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है कि पत्रावली दिनाक 18–09–25 को बिना बहस सुने ही निर्णय हेतु नियत कर दी गयी, जबकि अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में परम आवश्यक था। न्यायालय साक्षी संख्या–1 नरसिंह का साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त अग्रिम तिथि निर्णय हेतु नियत कर दी गयी और माननीय सत्र न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र के लम्बन काल में भी निर्णय पारित कर दिया गया, जो विद्वान परीक्षण न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के सदुपयोग को नहीं वरन न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधिकार के दुरुपयोग को ही दर्शाता है। वास्तव में विद्वान परीक्षण न्यायलय में तो दिनांक 09–09–25 किसी पक्षकार द्वारा अथवा स्वयं अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र न्यायालय साक्षी का बयान लेखबद्ध किये जाने हेतु न्यायालय में दिया जाना दर्शित होता है और ना ही ऐसा कोई कारण ही विद्वान परीक्षण न्यायालय के आदेश से दर्शित होता है कि किन परिस्थितियों में एकाएक न्यायालय साक्षी संख्या–1 नरसिंह राम का बयान लेखबद्ध किये जाने की आवश्यकता न्यायालय का उत्पन्न हुयी। जब न्यायालय द्वारा एकाएक न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में प्रकरण के अभियुक्त का बयान लेखबद्ध किया गया तो उसके बयान के उपरान्त अन्य पक्षकार को उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर प्रदान किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा कोई उल्लेख न्यायालय साक्षी संख्या–1 नरसिंह राम के बयान में परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है कि अन्य सहअभियुक्तों को न्यायालय साक्षी से प्रतिपरीक्षण किये जाने का कोई अवसर प्रदान किया गया हो। अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश के उपरान्त स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र भी माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसकी जानकारी विद्वान परीक्षण न्यायालय को होना कहा गया

है, परन्तु स्थानान्तरण याचिका की जानकारी परीक्षण न्यायालय को हो जाने और सहअभियुक्तगण/अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के न्यायालय में लम्बित रहते हुये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा नियत तिथि को निर्णय पारित कर दिया जाना अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को अत्यधिक पुष्ट और समर्थित करते हैं कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं न्यायालय में निहित शक्तियों के इतर जाकर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन ना करते हुये मनमाने ढंग से अपीलार्थी के हितों को प्रतिकूल प्रभावित करते हुये यह निर्णय व आदेश पारित किया गया है, जिसका लाभ अपीलार्थीगण पाने के पात्र हो जाते हैं।

33– अब विचारणीय प्रश्न है कि जिन कथित रूपयों का लेन–देन अपीलार्थीगण से होना वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा तहरीर में उल्लिखित किया गया है, वे कथित रूपये उसी कार्य हेतु दिये गये जिस हेतुक का उल्लेख वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में किया गया है अर्थात् क्या अपीलार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र व साले की नौकरी लगवाने हेतु वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह से कथित धनराशि उसको प्रलोभित करके व छल करके प्राप्त की गयी?

34– इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा तहरीर में उल्लिखित किया गया है कि "प्रार्थी अपने पुत्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह व साला चंदन कुमार सिंह को सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु श्री विनय गोयल व संतोष गोयल पुत्रगण स्व० दशरथ राम सा० कोटिया कुरेम, थाना रसडा जनपद बलिया से जू०हा०स्कूल अनुसूचित पाठशाला कुरेम कोटिया जिसका प्रबन्धक उपरोक्त विनय व संतोष उपरोक्त स्वयं बताकर उपरोक्त विद्यालय में अथवा सचिवालय उत्तर प्रदेश में स्वयं का रिश्तेदार को सचिव होने की बात बताकर नौकरी दिलाये जाने की बात किये तथा प्रार्थी के पुत्र को प्रेरित किये जिससे उत्प्रेरित होकर प्रार्थी का पुत्र व साला नौकरी दिलाये जाने के लिए मु०–18 लाख रूपये तयशुदा रकम को देने हेतु हम प्रार्थी को विवश किये।" इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा असा–1 ने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया है कि "मेरे पुत्र का नाम राघवेन्द्र प्रताप सिंह है मेरे साले का नाम चंदन सिंह है। घटना के दिन वह दोनों बेराजगार थे। संतोष गोयल एवं विनय गोयल मेरे बेटे राघवेन्द्र प्रताप सिंह व साले चंदन सिंह से नौकरी दिलवाने के लिए बात किये थे। मेरे पुत्र व साले ने अभियुक्तगण संतोष और विनय गोयल पर विश्वास करके मुझसे बात किये, मैंने अभियुक्तगण संतोष व विनय से नौकरी दिलाने की बाबत बात की तो अभियुक्तगण ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपसे 18 लाख रूपये लेंगे और आपके पुत्र व साले को क्लर्क की नौकरी जू०हा०स्कूल कोटिया कुरेम थाना रसडा में या सचिवालय में कहीं भी लगवा दूंगा।" जब अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुरेन्द्र बहादुर सिंह से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी तो उसने कथन किया है कि ***"मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मे ए०एस०आई० के पद पर हूँ। मुझे यह बात मालूम है कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। यह जानते हुये भी कि रिश्वत लेना देना अपराध है, इसके बावजूद भी मैंने नौकरी के लिए रिश्वत दिया था।"*** उसने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि *"विनय और संतोष के खाते में पैसा नहीं दिया।"* उसने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"मैने संतोष के हाथ में पैसा देने की बात एफ०आई०आर० में नहीं लिखवाया है।"* उसने आगे यह भी कथन किया है कि *"अठारह लाख रूपया बिना जांच पडताल के मैंने विनय गोयल व संतोष गोयल को दे दिया।"* उसने आगे कथन किया है कि *"मैंने जूनियर हाईस्कूल अम्बेडकर विद्यालय में क्लर्क की*

नौकरी के लिए मुल्जिमान से बात किया था।" इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि *"जमीन बीरन राम को लिखनी थी। जमीन विश्वजीत कुमार पुत्र लालजी राम साकिन विशेर जिला मऊ को लेनी थी। मैं उस जमीन की बिक्री में मीडियेटर था।"*

35– इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा के पुत्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह अभियोजन साक्षी संख्या–2 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"पकवा इनार चट्टी पर संतोष व विनय गोयल से नौकरी के बाबत प्रथम बार बात हुयी इसके पूर्व परिचय नहीं था।"* इस साक्षी ने अभियुक्तगण से पूंछे गये प्रश्न कि चाय की दुकान पर विनय व संतोष से आपका परिचय किसने कराया तो साक्षी ने उत्तर दिया कि विनय गोयल व संतोष गोयल ने चाय की दुकान पर मुझसे व मेरे मामा चंदन कुमार सिंह से पूंछे कि आप लोग कहां तक पढे हैं गांव पता वगैरा पूंछे। अभियुक्तगण द्वारा इस साक्षी से यह प्रश्न पूंछे जाने पर कि क्या चाय की दुकान में ही यह तय हो गया कि 18 लाख रूपये में नौकरी लगेगी। तो साक्षी ने उत्तर दिया कि चाय की दुकान पर ही संतोष व विनय बताये कि 18 लाख रूपये में नौकरी मिल जायेगी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि *"मेरी जन्म तिथि 01–07–2001 है.... मुझे मालूम था कि सरकारी नौकरी में 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिये।"* उसने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"विनय गोयल व संतोष के विद्यालय में क्लर्क की नौकरी निकली थी। संतोष व विनय गोयल ने स्वयं आवेदन भरने को कहा था। मैंने स्वयं कोई आवेदन नहीं भरा था।"* उसने आगे कथन किया है कि *"मैं नरसिंह, बीरन को नहीं जानता था।...नरसिंह व बीरन ने कभी भी फोन करके मुझे नहीं बुलाया"* उसने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"मैं यह जानता हूं कि नौकरी दुकान पर नहीं बिकती है। मैं यह भी जानता हूं कि नौकरी के लिए फार्म वगैरह भी भरा जाता है। मुझे यह पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नौकरी के लिए उम्र अठारह वर्ष होती है।"* उसने आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"मैं इलाहाबाद में चौदह पन्द्रह साल से रहता हूं।"*

36– इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी संख्या–4 ओम प्रकाश यादव ने मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि *"मुलजिमान ने कहा कि मेरे रिश्तेदार सचिवालय में सचिव हैं, उनके माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी पद पर नौकरी लगवाने की बात करेंगे।"* प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि *"संतोष व विनय नौकरी लगवाते थे लेकिन इस प्रकरण के अलावा कोई अन्य प्रकरण इस तरह अभियुक्तगण के बारे में दूसरा नहीं सुना है।..."* उसने आगे कथन किया है कि *"ग्राम विकास अधिकारी के लिए इम्तिहान देना पडता है, मैंने राघवेन्द्र से नहीं पूंछा था कि तुम परीक्षा दिये हो या नहीं।। प्राथमिक विद्यालय हरिजन में क्लर्क की कोई पोस्ट नहीं होती है।...यह कहना सही है कि घटना के समय ना तो मेरा कोई विद्यालय अतरौली करमौता में था और ना ही वहां नौकरी के लिए रिश्वत सम्बन्धी कोई वार्ता हुयी थी।"* उसने आगे कथन किया है कि *"वादी मुकदमा सुरेन्द्र के कहने पर मैं गवाही देने आया हूं।"* उसने आगे कथन किया है कि *"बीरन और नरसिंह के पट्टीदार से विवाद था, जिसके पंचायत में बुलाने पर मैं गया था। एक बार सुरेन्द्र की पंचायत में अभियुक्तगण के घर लहसनी में लेकर गये थे।....पंचायत में मैं और सुरेन्द्र गये थे। बीरन मिले थे, नरसिंह नहीं मिले थे। बीरन कहे कि नरसिंह आयेंगे उन्हीं से बात होगी।"* उसने आगे कथन किया है कि *मुझे कभी भी जानकारी नहीं रही है कि नरसिंह व बीरन राम नौकरी लगवाने का काम पैसा लेकर करते हैं। सुरेन्द्र के बताने पर जानकारी हुयी थी।"*

37– इस सम्बन्ध में प्रकरण के विवेचक अभियोजन साक्षी संख्या–7 शत्रुघ्न पाण्डेय ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"सरकारी नौकरी हेतु अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिये। मैं अपने विवेचना में दोनों अभ्यर्थी राघवेन्द्र व चंदन की उम्र सम्बन्धी सर्टिफिकेट विवेचना में आवश्यक नहीं समझा इसलिए नहीं मांगा। मैं जिस स्कूल में राघवेन्द्र व चंदन कुमार सिंह की विकल्प के तौर पर नौकरी लगने की बात थी, उस विद्यालय पर नहीं गया था और ना ही उसके अस्तित्व का पता लगाया। सचिवालय में अभियुक्तगण द्वारा जिस पद पर नौकरी देनी थी, उस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई जानकारी नहीं किया और यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि अभियुक्तगण का कोई रिश्तेदार सचिवालय में है या नहीं।...एफ०आई०आर० मे जो लेन–देन की बात हुयी है, उस ओमप्रकाश के विद्यालय पर मैं नहीं गया हूं। ओमप्रकाश का विद्यालय कहां स्थित है इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई पूंछताछ नहीं की गयी।....वादी मुकदमा सी०आर०पी० एफ० में एस०आई० हैं या नहीं है, मुझे जानकारी नही है।...वादी मुदमा द्वारा वीरन राम से भूमि कबाला कराने के लिए जो दस्तावेज तैयार कराया था, उसे नहीं देखा था। नरसिंह द्वारा वादी को दिये गये चेक को मैंने देखा था, उस चेक की छाया प्रति देखा था उसे ही पत्रावली में शामिल किया हूं। चेक के अलावा अभियुक्तगण द्वारा किसी भी दिये गये दस्तावेजी साक्ष्य ना मुझे मिला ना मैंने देखा था....वीरन व नरसिंह के विरूद्ध केवल फर्जी चेक के आधार पर कूटरचना व साजिश की धारा बढायी थी। मैं इस मुकदमें के सम्बन्ध में सब रजिस्ट्रार कार्यालय रसडा कभी नहीं गया था।"*

38– इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा लिखायी गयी तहरीर एवं उसके परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त समस्त साक्षियों यथा असा–1 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, असा–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह, असा–4 ओमप्रकाश यादव व असा–7 विवेचक शत्रुघ्न पाण्डेय की साक्ष्य को यदि एक साथ देखा जाये तो यह दर्शित होता है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी मुकदमा असा–1, उसके पुत्र असा–2 एवं तथ्य के साक्षियों असा–3 व असा–4 के बयान में यह कहीं भी नहीं आया कि कथित नौकरी की बात अभियुक्तगण द्वारा किस–किस दिनांक अथवा माह अथवा वर्ष में अथवा किस समय की गयी। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा अपने पुत्र व साले को सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष गोयल से बात किये। जबकि तहरीर के पूर्णतया विपरीत कथन उसने अपनी मुख्य परीक्षा में करते हुये अपने पुत्र व साले द्वारा अपीलार्थीगण से बात करने का कथन किया है। जबकि इसके पूर्णतया विपरीत कथन करते हुये अभियोजन साक्षी संख्या–2 द्वारा चाय की दुकान पर स्वयं द्वारा अपीलार्थीगण से बात किया जाना और उसके उपरान्त अपने पिता को बताना कहा गया है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी पत्रावली पर नहीं है, जिसने अपीलार्थीगण व वादी मुकदमा या उसके पुत्र की बातचीत को सुना हो अथवा उनके सामने कोई बात हुयी हो। स्वयं वादी मुकदमा के पुत्र की साक्ष्य में यह आया है कि वह अभियुक्तगण संतोष व विनय को पूर्व से नहीं जानता था, उसने यह भी कथन किया है कि वह 14–15 साल से इलाहाबाद में रहता है, जब असा–2 लम्बे समय से दूसरे जनपद में रहता है, तब अचानक उसका अभियुक्तगण से चाय की दुकान पर मिलना और नौकरी दिलाने की बात पर विश्वास करना और मोटी धनराशि बिना किसी जांच पडताल के दिया जाना किसी भी स्थिति में सत्य व स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। उसकी साक्ष्य में आया है कि चाय की दुकान पर विनय गोयल व संतोष गोयल ने उससे व उसके मामा चंदन सिंह से पूंछा था कि आप लोग कहां तक पढे हैं और नौकरी लगवाने की बात कही, ऐसी स्थिति में जबकि वादी मुकदमा का पुत्र व उसका मामा जब अपीलार्थीगण से पूर्व से परिचित भी नहीं थे, तब अचानक अपीलार्थीगण द्वारा अकारण ही चाय की दुकान पर उससे व उसके मामा से

नौकरी की बात करना और रूपये की बात करना किसी भी प्रकार स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और इससे भी अधिक यह अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि अंजान व्यक्ति को 18 लाख रूपये की धनराशि केवल सरकारी नौकरी की प्रत्याशा में दे दी जाये और वह भी एक शिक्षित व्यक्ति व सरकारी सेवक वादी मुकदमा द्वारा बिना किसी जानकारी के दिया जाना भी स्वाभाविक व सत्य प्रतीत नहीं होता है। कथित रूपये के लेन–देन व बातचीत के दौरान वादी मुकदमा के पुत्र व वादी मुकदमा के साले की वास्तविक आयु क्या थी, ना तो अभियोजन साक्षीगण ने स्पष्ट बतायी है और ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे यह दर्शित होता हो कि उनकी तत्समय वास्तविक आयु क्या थी अथवा उनकी शिक्षा क्या थी। क्या वे किसी सरकारी नौकरी हेतु अर्ह थे भी अथवा नहीं? पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी दर्शित नहीं होता है कि तत्समय किसी सरकारी नौकरी का कोई विज्ञापन निकला हो और वादी मुकदमा के पुत्र व साले द्वारा कहीं कोई आवेदन किया गया हो। स्वयं अभियोजन साक्षी संख्या–4 ने स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि घटना के समय ना तो मेरा कोई विद्यालय अतरौली करमौता था और ना ही वहां नौकरी के लिए रिश्वत सम्बन्धी कोई वार्ता हुयी थी।" उसने आगे कथन किया है कि "वादी मुकदमा सुरेन्द्र के कहने पर मैं गवाही देने आया हूँ।" अर्थात इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–4 की साक्ष्य उसकी मुख्य परीक्षा के कथनों के पूर्णतया विपरीत हो जाने के कारण उसकी साक्ष्य पर विश्वास जागृत नहीं होता है। उसके कथनानुसार वह वादी मुकदमा के कहने पर साक्ष्य देने हेतु आया है। इस साक्षी की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसकी साक्ष्य अनुश्रुत कोटि की साक्ष्य है अर्थात् उसने जो कुछ भी कहा है वह वादी मुकदमा के बताने के अनुसार ही कथन किया है। ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कथानक का कोई अंश प्रमाणित नहीं होता है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि जिस विद्यालय में अपीलार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र व वादी मुकदमा के साले की नौकरी दिलाये जाने का आश्वासन दिया गया, उस विद्यालय में लिपिक का पद ही नहीं है। सचिवालय में अपीलार्थीगण का कोई रिश्तेदार हो, ऐसी कोई जांच विवेचक द्वारा नहीं की गयी ना ही अभियुक्तगण से ही कोई पूंछताछ किया जाना दर्शित होता है। सचिवालय में किसी सरकारी सेवक की नौकरी का कोई विज्ञापन निकला हो, वादी मुकदमा या उसके पुत्र द्वारा अभिकथित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा के पुत्र व साले द्वारा किसी नौकरी हेतु कोई आवेदन कहीं किया गया हो, उनकी ही साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "विनय गोयल व संतोष के विद्यालय में क्लर्क की वैकेंसी निकली थी। संतोष व विनय ने स्वयं आवेदन भरने को कहा था, मैने कोई आवेदन नहीं भरा था।" इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा असा–1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मैंने जूनियर हाईस्कूल अम्बेडकर विद्यालय में क्लर्क की नौकरी के लिए मुल्जिमान से बात किया था।" इस प्रकार असा–1 व असा–2 दोनों ने ही यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा जूनियर हाईस्कूल में नौकरी लगवाने की बात की गयी और असा–2 ने तो विद्यालय में क्लर्क की नौकरी की वैकेंसी निकलने का भी कथन किया है, परन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों के उक्त कथन की विश्वसनीयता और सत्यता अभियोजन साक्षी संख्या–4 की साक्ष्य से पूर्णतया नष्ट हो जाती है, क्योंकि असा–4 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "प्राथमिक विद्यालय हरिजन में क्लर्क की कोई पोस्ट नहीं होती है" जब असा–1 व असा–2 द्वारा दर्शित विद्यालय में जहां अपीलार्थीगण द्वारा नौकरी लगवाये जाने का कथन किया जाना कहा गया है, उस विद्यालय में लिपिक का कोई पद ही नहीं होता है तो ऐसे में लिपिक के पद पर नौकरी लगवाये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई बातचीत किसी भी पक्षकार द्वारा किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और ना ही वादी मुकदमा जैसे शिक्षित व

सरकारी सेवारत व्यक्ति से सामान्य रूप से यह आशा ही की जा सकती है कि उसने बिना किसी जानकारी व जांच पडताल के प्रथम बार अपने पुत्र का परिचय चाय की दुकान पर अपीलार्थीगण से होने मात्र से ही 18 लाख रूपये की धनराशि का भुगतान कर देता। असा–1 व असा–2 के अनुसार अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष ने स्वयं को जू०हा० स्कूल अनु० पाठशाला कुरेम का प्रबन्धक बताया, तब कम से कम वादी मुकदमा को उक्त दोनों अपीलार्थीगण के विद्यालय जाकर उनके बारे में व उनके उक्त विद्यालय में प्रबन्धक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया जाना नितान्त स्वाभाविक था, परन्तु उसके द्वारा ऐसी कोई जानकारी किया जाना स्वयं उसने ही इन्कार किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के विवेचक ने भी विवेचना के दौरान ऐसी कोई जानकारी विद्यालय जाकर नहीं की। अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थीगण विनय व संतोष उक्त विद्यालय के प्रबन्धक थे। तब ऐसी स्थिति में किसी भी सामान्य व्यक्ति अथवा वादी मुकदमा जैसे शिक्षित व सरकारी सेवारत व्यक्ति से यह कदापि आशा नहीं की जा सकती है कि वह चाय की दुकान पर अपने पुत्र से मुलाकात होने वाले व्यक्ति जिससे वे पूर्व से परिचित भी नहीं थे, केवल उनकी बात पर विश्वास करके 18 लाख रूपये की धनराशि का भुगतान कर देते। यह तथ्य भी अभियोजन कथानक की सत्यता पर एक गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवा में बिना किसी विज्ञप्ति के बिना पर्याप्त शिक्षा व अर्हता के बिना कोई आवेदन किये अपीलार्थीगण द्वारा केवल मौखिक रूप से कह देना और बिना किसी जांच पड़ताल के अथवा जानकारी किये वादी मुकदमा द्वारा अपीलार्थीगण को एक बडी धनराशि केवल सरकारी नौकरी की प्रत्याशा में दिया जाना ना तो स्वाभाविक प्रतीत होता है और ना ही सत्य ही प्रतीत होता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इसके विपरीत निकाला गया निष्कर्ष केवल अनुमान व अटकलों पर आधारित होने के कारण संधार्य नहीं है।

39– वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा लिखायी गयी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उसके द्वारा 7,90,000/– रूपये ओमप्रकाश यादव व संतोष कुमार सिंह के समक्ष ओमप्रकाश के विद्यालय पर संतोष, विनय व नरसिंह को दिया गया अर्थात् वादी मुकदमा द्वारा केवल 3 अपीलार्थीगण को ही उक्त कथित नकद रूपये दिये जाने का कथन किया गया है, सहअभियुक्त बीरन राम को कोई धनराशि नकद दिये जाने का कथन नहीं किया गया है। जब इस सम्बन्ध में इस साक्षी की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया गया तो यह दर्शित होता है कि उसने अपनी तहरीर में उल्लिखित कथन के विपरीत प्रकरण के चारों ही अभियुक्तों को नकद रूपये दिये जाने का कथन किया है। उसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह संतोष व विनय के बुलाने पर ओमप्रकाश के विद्यालय पर गया था, उसने संतोष के हाथ में रूपया दिया था, परन्तु यह बात उसने एफ०आई०आर० में नहीं लिखायी। 18 लाख रूपये बिना जांच पडताल के उसने विनय गोयल व संतोष गोयल को दे दिये। उसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि सात लाख नब्बे हजार रूपये में से चंदन से तीन लाख रूपये खेत बिक्री करके व दो लाख रूपये अपने भांजे अभिषेक उर्फ नीरज से लिया था, एक लाख नब्बे हजार रूपये अपने मित्र परवेज से लिया था, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से ना तो चंदन की भूमि विक्रय का कोई प्रपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया ना ही विवेचक द्वारा ऐसे किसी प्रपत्र की जानकारी विवेचना के दौरान की गयी ना ही इस तथ्य का उल्लेख वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में ही किया गया और ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा को रूपये देने वाले उसके साले नीरज या उसके मित्र परवेज को ही साक्ष्य में परीक्षित

कराया गया, जिससे कि यह साबित होता कि वादी मुकदमा द्वारा उक्त रूपये उनसे उधार लेकर अभियुक्तगण को दिये गये थे।

40– वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा स्वयं द्वारा लिखायी गयी तहरीर में 7,90,000/–रूपये नकद अपीलार्थीगण संतोष, विनय व नरसिंह को ओमप्रकाश यादव के विद्यालय पर दिये जाने का उल्लेख किया है, परन्तु उक्त रूपये किस दिनांक को दिये गये, किसी दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपनी तहरीर में उल्लिखित कथन के विपरीत उसने मुख्य परीक्षा में संतोष, विनय व नरसिंह के अतिरिक्त बीरन के नाम का भी उल्लेख करते हुये 7,90,000/–रूपये ओमप्रकाश यादव के विद्यालय पर दिये जाने का कथन किया। उसने तहरीर व अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त नकद रूपये किसके समक्ष उसके द्वारा दिये गये, किसी भी साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं किया है, जब इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो उसने अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में अभिवृद्धि करते हुये यह कथन किया है कि "ओमप्रकाश यादव के विद्यालय पर संतोष, विनय, नरसिंह व बीरन चारों लोग एक गाडी पर बुलेरो से आये थे। वहीं पर हमें बुलाये थे।" जबकि बुलेरो गाडी पर चारों के आने का उल्लेख ना तो तहरीर में किया गया है ना ही उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही किया है। उसने पतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि "ओमप्रकाश के विद्यालय पर संतोष, विनय के बुलाने पर गया था, वहां पर पैसा मैंने संतोष के हाथ में दिया था।" उसने आगे कथन किया है कि "ओमप्रकाश के विद्यालय पर मुझे टेलीफोन करके संतोष, विनय बुलाये थे।" परन्तु किसी टेलीफोन नम्बर का उल्लेख उसके द्वारा नहीं किया गया है और ऐसा कोई उल्लेख ना तो उसने तहरीर में किया ना ही अपनी मुख्य परीक्षा में किया और ना उसके इस कथन का समर्थन विवेचक की साक्ष्य से ही होता है।

41– वादी मुकदमा ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *"मैं मोटरसाईकिल से नकद सात लाख नब्बे हजार रूपये देने संतोष कुमार सिंह के साथ ओमप्रकाश यादव के स्कूल पर दो मोटरसाईकिल से गया था। जब मैं स्कूल पर पहुंचा तो वहां पर सिर्फ ओमप्रकाश यादव मौजूद थे। इसके बाद संतोष, विनय, नरसिंह व बीरन सफेद बुलेरो से आये। तो उपरोक्त लोगों के समक्ष विनय के हाथ में पैसा दिये।"* इस सम्बन्ध में यदि वादी मुकदमा के पुत्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह असा–2 की मुख्य परीक्षा को पढा जाये तो यह दर्शित होता है कि इस साक्षी की साक्ष्य से असा–1 की उक्त साक्ष्य का समर्थन नहीं होता है क्योंकि असा–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि *"सात लाख नब्बे हजार रूपये नगद रूप में ओमप्रकाश यादव के विद्यालय अतरौली में सन् 2019 में ही मेरे मामा चंदन सिंह, पिता सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संतोष कुमार सिंह, ओमप्रकाश यादव और मेरी मौजूदगी में चारों मुल्जिमान संतोष गोयल, विनय गोयल नरसिंह व बीरन नाम ने नकद लिये।"* वादी मुकदमा असा–1 ने रूपये देने जाते समय अपने पुत्र असा–2 को अपने साथ होना अथवा अपने साले चंदन सिंह के साथ जाने का कोई कथन नहीं किया है और ना ही ओमप्रकाश यादव के ही उस समय उपस्थित होने का कथन किया है। असा–2 तो रूपये देने की तिथि भी बताने में असमर्थ रहा है। उसने यह भी कथन प्रतिपरीक्षा में किया है कि *"पहले संतोष गोयल के हाथ में दिया या वह पैसा विनय गोयल का दे दिये फिर वह नरसिंह व बीरन का दिये।"* उसने आगे कथन किया है कि *"पहले से पैसा हम गिने थे और मुल्जिमान के सामने भी पैसा गिना गया, दोनों बातें सही हैं।"* जबकि असा–1 ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसने रूपये संतोष के हाथ में दिया, बल्कि उसने रूपये विनय के हाथ में दिये जाने का कथन किया है। उसने उक्त रूपये संतोष द्वारा विनय के हाथ में, विनय द्वारा नरसिंह व वीरन को दिये जाने का भी कथन

नहीं किया है। असा–2 तो ओमप्रकाश यादव के विद्यालय का नाम भी बताने में असमर्थ रहा है। उसने स्पष्ट कथन प्रतिपरीक्षा में करते हुये कहा है कि *"ओमप्रकाश के विद्यालय का नाम नहीं मालूम है। उस विद्यालय में कोई गेट नहीं था। ओमप्रकाश के विद्यालय में कमरे नहीं है, टूट चुका है।....ओमप्रकाश मेरे पिता के मित्र हैं। यह कहना सही है कि ओमप्रकाश यादव के विद्यालय रिश्वत देने के लिए उपयुक्त जगह थी, उन्हें साक्षी के रूप में रखना था।"* इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि *"संतोष सिंह मेरे पिता के मित्र हैं।"* असा–2 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि *"मैं विवेचक को अपने 161 सी०आर०पी०सी० के बयान में यह बताया था कि ओमप्रकाश के स्कूल पर संतोष की उपस्थिति में संतोष, विनय, नरसिंह को नकद सात लाख रूपया दिया गया था। जब हम लोग रूपया देने के लिए ओमप्रकाश यादव के स्कूल पर गये तो वहां पर पहले से विनय, संतोष, नरसिंह, बीरन मौजूद थे।"* जबकि उसके ही पिता असा–1 ने ओमप्रकाश के विद्यालय पहुँचने पर केवल ओमप्रकाश के उपस्थित होने और अपीलार्थीगण के बाद में आने का कथन किया है। असा–2 ने संतोष सिंह को अपने पिता का मित्र होना कहा है, जबकि इसके विपरीत संतोष सिंह असा–3 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि *"सुरेन्द्र बहादुर मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पिता से मेरी बुआ की शादी हुयी थी।"* जबकि इस तथ्य को असा–1 व असा–2 दोनों ही छिपाये है, जो यह दर्शित करता है कि संतोष सिंह एवं ओमप्रकाश यादव को इस प्रकरण में बाद में रिश्तेदार होने के कारण साक्षी बनाया गया है। संतोष सिंह असा–3 को ओमप्रकाश यादव के विद्यालय जाना कहा गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में यह साक्षी उस विद्यालय के निकास को बताने में भी असमर्थ रहा है और उसने कथन किया है कि ओमप्रकाश के स्कूल का मुख्य निकास किधर है याद नहीं है। असा–3 ने तो प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि *"चेक देने की जानकारी मुझे स्कूल पर ही हुयी।"* ऐसे में जब चेक तो काफी दिन बाद दिया जाना अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से दर्शित होता है तो विद्यालय पर ही चेक देने की बात जानकारी में आना असा–3 द्वारा कहना यह दर्शाता है कि वास्तव में यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी सक्षी ही नहीं है उसने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने प्रथम बार अपीलार्थीगण को ओमप्रकाश यादव के स्कूल पर देखा था उससे पूर्व नहीं। उसने वादी मुकदमा द्वारा रूपये देने से पहले उसे जानकारी देने के तथ्य से भी इंकार किया है। असा–2 के अनुसार अभियुक्तगण ओमप्रकाश यादव के स्कूल पर पूर्व से मौजूद थे, जबकि इस तथ्य को ओमप्रकाश यादव असा–4 ने पूर्णतया अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि इन लोगों के आने के बाद अपीलार्थीगण बुलेरो गाडी से आये थे। असा–4 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना सही है कि घटना के समय ना तो मेरा कोई विद्यालय अतरौली करमौता में था और ना ही वहां नौकरी के लिए रिश्वत सम्बन्धी कोई वार्ता हुयी। ओमप्रकाश यादव असा–4 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि *"वादी मुकदमा सुरेन्द्र के कहने पर मैं गवाही देने आया हूँ।"* इस प्रकार तथ्य के उपर्युक्त चारों साक्षियों की साक्ष्य को एक साथ देखने से यह दर्शित होता है कि उनकी साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभास है। उनकी साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि असा–3 व असा–4 वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह के कहने पर साक्ष्य देने आये हैं। असा–3 व असा–4 की साक्ष्य से तो उनकी कथित घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति ही पूर्णतया संदिग्ध हो जाती है क्योंकि असा–1, असा–2, असा–3 व असा–4 के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि असा–3 व असा–4 हितबद्ध साक्षी व वादी के रिश्तेदार होने के कारण केवल सुनी सुनायी बातों पर उनके द्वारा साक्ष्य दी गयी है। यह सही है कि मात्र रिश्तेदार साक्षी होने के कारण ही किसी साक्षी की साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, परन्तु इस प्रकरण में असा–1 सुरेन्द्र बहादुर सिंह

व असा–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह पिता–पुत्र है और उनकी ही साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है तो रिश्तेदारी साक्षी असा–3 संतोष सिंह व मित्र साक्षी असा–4 ओम प्रकाश यादव की साक्ष्य जिसमें अनेक गम्भीर विरोधाभास दर्शित होते हैं तथा असा–1 द्वारा रिश्तेदार होने के तथ्य को जानबूझकर छिपाया जा रहा हो, तब ऐसी स्थिति में असा–3 व असा–4 की साक्ष्य अनुश्रुत श्रेणी की साक्ष्य प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण के तर्कों में बल प्रतीत होता है कि रिश्तेदार व मित्र होने के कारण ही असा–3 व असा–4 द्वारा सुनी सुनायी बातों के आधार पर साक्ष्य दी गयी है, जिसमें अनेक गम्भीर विरोधाभास है, जिस कारण अभियोजन कथानक की सत्यता के प्रति गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता है।

42– इस प्रकरण में वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह की तहरीर के अनुसार उसने विभिन्न तिथियों पर 10 लाख 10 हजार रूपये सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में आर०टी०जी०एस० व नेफ्ट के माध्यम से जमा किये। तहरीर में इस साक्षी ने स्वयं द्वारा उक्त सम्पूर्ण धनराशि सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में जमा किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उसने अपने किस बैंक के खाते से उक्त धनराशि सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में अन्तरित की, इसका कोई उल्लेख उसने ना तो तहरीर में किया है और ना ही अपनी मुख्य परीक्षा में किया है और ना ही अपने खाते का कोई विवरण ही प्रस्तुत किया है, जिससे यह दर्शित हो कि उसके खाते से कोई धनराशि सहअभियुक्त के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अन्तरित हुयी। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा सीआरपीएफ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर सेवारत है, उसकी एक निश्चित मासिक आय होना स्वाभाविक है, तब उसके लिए यह दर्शाना आवश्यक था कि उसने उक्त बडी धनराशि अपनी किस बचत से निकालकर नकद रूप में अपीलार्थीगण को दी, परन्तु ऐसा कोई भी प्रपत्र वादी मुकदमा द्वारा ना तो विवेचक को दिखाया गया ना ही पत्रावली पर प्रस्तुत किया है और ना ही इस सम्बध में कोई कथन ही अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। उसने तहरीर में केवल 48000/– रूपये व दो हजार रूपये अपने मित्र अश्वनी यादव के खाते से सहअभियुक्त के खाते में अन्तरित किये जाने का कथन किया है, परन्तु ना तो अश्वनी यादव को साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त तथ्य को साबित करने हेतु परीक्षित कराया गया ना ही उक्त अश्वनी यादव के खाते का कोई विवरण ही पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है,जिससे यह दर्शित हो सके कि सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में उक्त धनराशि अन्तरित हुयी। मुख्य परीक्षा में वादी ने कथन किया है कि "मैने अपने एकाउण्ट से कुल नौ लाख साठ हजार रूपये नरसिंह के खाते में भेजे।" यदि वादी मुकदमा द्वारा उक्त धनराशि अपने खाते से अन्तरित की गयी थी तो उसके द्वारा अपने बैंक खाते का विवरण इस तथ्य को साबित करने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता, परन्तु ऐसा भी इस प्रकरण में किया जाना दर्शित नहीं होता है। सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत है, परन्तु उक्त प्रपत्र किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है, स्वयं अभियोजन साक्षी संख्या–8 सौमित्र गुप्ता बताने में असमर्थ रहे हैं। विवेचनाधिकारी द्वारा उक्त विवरण सम्बन्धित बैंक से विवेचना के दौरान प्राप्त करने का कथन भी विवेचक द्वारा नहीं किया गया है, तब किन परिस्थितियों में उक्त प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हुआ, अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। स्वयं विवेचक असा–7 शत्रुघ्न पाण्डेय द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि "बीरन व नरसिंह के विरूद्ध केवल फर्जी चेक के आधार पर कूट रचना व साजिश की धारा बढायी थी" जबकि **स्वयं <u>अभियोजन साक्षी संख्या–8 सौमित्र गुप्ता ने स्वीकार किया है कि चेक पर हस्ताक्षर डिफर होना कोई अपराध नहीं है।</u>** यदि यह मान भी लिया जाये कि सहअभियुक्त नरसिंह द्वारा जो चेक वादी मुकदमा को दिया गया, उस पर उसके हस्ताक्षर

समान नहीं थे, तब वादी मुकदमा के लिए यह अत्यन्त सामान्य तथा स्वाभाविक था कि वह इसकी शिकायत सहअभियुक्त नरसिंह राम से करता और दूसरा चेक देने को कहता और यदि उसके द्वारा दूसरा चेक देने से मना कर दिया जाता, तब वह धारा–138 एन०आई०ए० एक्ट का परिवाद प्रस्तुत कर सकता था, परन्तु वादी मुकदमा द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाना ही दर्शित नहीं होता है। वादी ने अपनी तहरीर में स्पष्ट कथन किया है कि **नरसिंह द्वारा दिया गया उपरोक्त चेक बैंक ने टिप्पणी करके दिनांक 28–01–2020 को वापस** कर दिया था। किन्तु पत्रावली पर मूल चेक भी उपलब्ध नहीं है बल्कि केवल उसकी अपठनीय छाया प्रति ही उपलब्ध है, वह मूल चेक कहां हैं, अभियोजन पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण विचारण अथवा बहस के समय नहीं दिया गया है। अभियुक्त नरसिंह ने सी०डब्लू०–1 के रूप में अपने कथन की प्रथम लाईन में ही कहा है कि वह सुरेन्द्र बहादुर सिंह को नहीं जानता है, उसकी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई तथा इस साक्षी के द्वारा ओम प्रकाश यादव को जानने से ही इन्कार कर दिया है। इस प्रकार साक्ष्याभाव में यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतया असफल रहा है कि वादी मुकदमा द्वारा अपने पुत्र व साले की नौकरी लगवाने के सम्बन्ध में ही 10,10,000/– रूपये की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में अन्तरित की गयी।

43– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा व उसके पुत्र के कथनानुसार नौकरी लगवाने सम्बन्धी बातचीत अपीलार्थी विनय गोयल व संतोष गोयल से हुयी थी, तब ऐसी स्थिति में यदि किसी धनराशि का लेन–देन नौकरी लगवाने के लिए हुआ होता तो वह अपीलार्थी विनय गोयल व संतोष गोयल के द्वारा अपने खाते में या अपनी पत्नी अर्थात अपने परिवार के किसी सदस्य के खाते में अन्तरित कराया जाता ना कि सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में प्रस्तुत किया जाता और जब नकद 7,90,000/–रूपये की धनराशि वादी मुकदमा द्वारा अपीलार्थी विनय गोयल व संतोष गोयल को दी गयी, तब उक्त धनराशि का चेक या नकद धनराशि के देनदार अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष गोयल थे ना कि सहअभियुक्त नरसिंह राम जिसके खाते से कथित रूप से 18 लाख रूपये का चेक दिया जाना वादी मुकदमा द्वारा कहा गया है, क्योंकि नकद धनराशि उक्त सहअभियुक्त के खाते में जमा की गयी हो, ना तो ऐसा कोई कथन वादी द्वारा किया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है कि उक्त धनराशि सहअभियुक्त नरसिंह राम के खाते में जमा की गयी थी। तब यदि नरसिंह राम द्वारा कोई चेक धनराशि के एवज में दिया जाता तो स्वाभाविक रूप से वह उतनी ही धनराशि का चेक वादी मुकदमा को निर्गत करता जितनी धनराशि उसके खाते में आयी थी ना कि कुल धनराशि 18 लाख रूपये का। यह विरोधाभासी तथ्य भी अभियोजन कथानक के प्रति गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है। वादी सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ***"मैं नरसिंह व वीरन राय के घर कभी पैसा मांगने नहीं गया हूं, चेक बाउन्स होने के बाद मैं NIA Act का मुकदमा नहीं किया था, जो चेक मुझे मिला था, वह मेरे पास है लेकिन मैं आज वह चेक नहीं लाया हूं।"*** तहरीर प्रदर्श क–1 में भी वादी द्वारा उपरोक्त चेक दिनांक 28–01–20 को बैंक द्वारा टिप्पणी करके वापिस कर दिया जाना अंकित किया है। कथित 18 लाख रूपये का मूल चेक जो कि बैंक द्वारा हस्ताक्षर भिन्न होने के उपरान्त वादी मुकदमा को वापिस किया जाना कहा गया है, पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही विवेचनाधिकारी को ही विवेचना के दौरान दिखाया गया है विवेचक ने स्वयं उक्त कथित चेक की छाया प्रति देखे जाने का कथन किया गया है।

44– यह विचारणीय है कि क्या कथित चेक 18 लाख रूपये का सहअभियुक्त नरसिंह राम द्वारा उसी प्रकार और उस रीति व उद्देश्य से वादी मुकदमा को दिया गया जैसा कि अभियोजन कथानक है अथवा इस बिन्दु पर कोई विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कथानक की सत्यता पर कोई आंच आती है तथा इस सम्बन्ध में साक्षीगण की साक्ष्य एक–दूसरे के समरूप है अथवा नहीं?

45– इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर अभियुक्त/अपीलार्थी नरसिंह राम द्वारा जो चेक 18 लाख रूपये का वादी मुकदमा को दिया जाना अभिकथित किया गया है, वह मूल रूप में ना तो पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है और ना ही उसे मूल रूप में प्रस्तुत ना करने का कोई कारण ही अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है। वादी मुकदमा के अनुसार अपीलार्थी नरसिंह राम द्वारा दिया गया चेक बैंक से अनाद्रित हो गया, तब वह मूल चेक मय बैंक की टिप्पणी सहित वादी मुकदमा को प्राप्त होना स्वाभाविक तथा स्वयं वादी द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 के पृष्ठ–2 पर स्वीकार किया गया है कि उक्त चेक बैंक द्वारा दिनांक 28–01–20 को वापिस कर दिया गया था और ऐसी स्थिति में वह मूल चेक इस आपराधिक घटना का मूलाधार था, परन्तु ना तो मूल चेक और ना ही बैंक की अनाद्रत टिप्पणी पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है और ना ही उसे प्रस्तुत ना करने का कोई कारण ही वादी मुकदमा या उसके किसी साक्षी द्वारा बताया ही गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–8 सौमित्र गुप्ता द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि पत्रावली में संलग्न चेक संख्या–000039 की छाया प्रति बंधन बैंक की है, जो बंधन बैंक द्वारा जारी की गयी है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि ग्राहक द्वारा अपने चेक पर हस्ताक्षर करते समय की भिन्नता हो सकती है, ऐसे चेक को बैंक द्वारा अपराध नहीं माना जाता है ना ही अपराध की श्रेणी में आता है। प्रथमतः तो मूल चेक ही पत्रावली पर नहीं है दूसरे यदि चेक की अपठनीय छाया प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है तो बिना मूल चेक के उक्त छाया प्रति साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है। प्रकरण के विवेचक शत्रुघ्न पाण्डेय ने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि "वीरन व नरसिंह के विरूद्ध केवल फर्जी चेक के आधार पर कूटरचना व साजिश की धारा बढायी गयी थी।" इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों अभियोजन साक्षी संख्या–7 व 8 की साक्ष्य को एक साथ पढने पर अपीलार्थी नरसिंह राम के विरूद्ध धारा–120 बी भा०दं०सं० का अपराध ही प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि कोई कूटरचना या आपराधिक षडयन्त्र उसके द्वारा किया गया हो, यह उक्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से ही दर्शित नहीं होता है।

46– अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह व उसके पुत्र अभियोजन साक्षी संख्या–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह की मौखिक साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि वादी मुकदमा के पुत्र व उसके साले चन्दन सिंह की नौकरी लगवाने की बातचीत केवल दो अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष गोयल से हुयी थी। अपीलार्थी नरसिंह राम से कोई बातचीत नौकरी लगवाने के सम्बन्ध में होना उनकी ही साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। उनकी साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थीगण संतोष गोयल व विनय गोयल को 7,90,000/–रूपये नकद दिये गये थे और शेष धनराशि 10,10,000/–रूपये अपीलार्थीगण संतोष गोयल व विनय गोयल के कहने पर नरसिंह राम के खाते में आर०टी०जी०सी० /नेफ्ट के माध्यम से भिजवाये थे। निर्णय में पूर्व में यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि वादी मुकदमा ने अपने खाते का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। जिन अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपीलार्थी नरसिंह राम के खाते में कुछ धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से अन्तरित किया जाना उसके द्वारा बताया गया है, उनमें से ना तो किसी को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराकर इस

तथ्य को साबित कराया गया और ना ही उनके खाते का कोई विवरण ही प्रस्तुत किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि कितनी धनराशि किस दिनांक को उनके खाते से अन्तरित की गयी। अपीलार्थी नरसिंह राम के खाते का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसको किस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया, यह तथ्य अभियोजन साक्षी संख्या–8 की साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है। विवेचक द्वारा बंधन बैंक जाकर अपीलार्थी नरसिंह राम के खाते की जांच किया जाना विवेचक की साक्ष्य से ही दर्शित नहीं होता है। अभियोजन साक्षी संख्या–7 शत्रुघ्न पाण्डेय द्वारा बैंक से अपीलार्थी नरसिंह राम के खाते का विवरण प्राप्त किया जाना भी उनकी साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है ना ही उन्होने ऐसा कोई कथन किया है कि उनके द्वारा उसके खाते की कोई प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी हो। ऐसे में पत्रावली पर जो नरसिंह राम के खाते का विवरण प्रस्तुत किया गया है वह किस प्रकार और किसने प्राप्त करके पत्रावली पर प्रस्तुत किया, किसी भी साक्षी की साक्ष्य में उल्लिखित ना होना इस प्रपत्र की सत्यता पर भी गहरा सन्देह उत्पन्न करता है कि यह किन परिस्थितियों में पत्रावली पर आया। इसके अतिरिक्त यदि वादी मुकदमा द्वारा 10,10,000/–रूपया अपीलार्थी नरसिंह राम के खाते में डलवाये गये थे तो नरसिंह राम को यदि रूपया वापिस करना था **तो वह वादी को 10,10,000/–रूपये का ही चेक देने हेतु उत्तरदायी था, तब किन परिस्थितियों में उसके द्वारा 10,10,000/–रूपये के स्थान पर वादी मुकदमा को 18 लाख रूपये का चेक दिया गया, यह तथ्य अभियोजन पक्ष स्पष्ट करने में पूर्णतया असमर्थ रहा है, जो यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में घटना का मूलाधार कुछ और है और वादी मुकदमा के द्वारा तोड–मरोडकर घटना को प्रस्तुत किया गया है तथा वास्तविक घटना को छिपाया गया है।**

47– तहरीर के अनुसार विनय व संतोष के कहने पर नरसिंह ने 18 लाख रूपये का चेक वादी मुकदमा के नाम का दिया, जिसे वादी ने क्लीयरेंस हेतु बैंक में प्रस्तुत किया। यह चेक वास्तव में किसको दिया गया या किसने प्राप्त किया और कब दिया गया, इस सम्बन्ध में भी अभियोजन साक्षीगण संख्या–1 व 2 की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *"मुझे विश्वास दिलाने की खातिर विनय व संतोष ने नरसिंह से 18 लाख रूपये का चेक मुझे मेरे नाम से दिलवाया। मैंने चेक लेने से इन्कार कर दिया, नकद रूपयों की मांग की......मैं चेक वहीं छोडकर घर वापिस आ गया। अभियुक्तगण ने यह चेक मेरे पुत्र को बाद में थमा दिया।"* जबकि प्रतिपरीक्षा में उसने अपने उक्त कथन के विपरीत कथन करते हुये यह कथन किया है कि *"विनय, संतोष, नरसिंह, बीरन ने मेरे लडके को बुलाकर नरसिंह के नाम से चेक 18 लाख रूपये का दिया था। चेक लेकर मेरा लडका चला गया।"* उसने आगे अपने उक्त कथन के विपरीत यह भी कथन किया है कि *"मेरे लडके ने बताया कि पहले से चेक पर हस्ताक्षर करके रखे थे वही मुझे दिये, वह चेक संतोष व विनय के घर पर दिये थे। चेक लेने मेरा लडका राघवेन्द्र व साला चंदन कुमार सिंह गये थे।"* इस सम्बन्ध में राघवेन्द्र प्रताप सिंह असा–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "संतोष गोयल के घर पर मुल्जिमान ने मुझे और मेरे मामा को बुलाकर नरसिंह के हस्ताक्षरयुक्त चेक जो 18 लाख रूपये का था, मेरे पिता सुरेन्द्र बहादुर सिंह के नाम से दिया था।" प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि *"चेक देने के लिए मुझे विनय गोयल ने फोन किया था चेक लेने मैं व मेरे मामा संतोष व विनय के घर गये थे। वह चेक संतोष गोयल ने दिया था।"* इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण असा–1 व असा–2 पिता व पुत्र के कथन में इस सम्बन्ध में गम्भीर विरोधाभास है कि वास्तव में कथित रूपये वापसी की मांग वादी ने अपीलार्थीगण से की और उनके द्वारा चेक दिये जाने पर वह घर वापिस आ गया यदि वादी की यह बात सत्य मान ली जाये तो उसने अपने पुत्र

को चेक लेने हेतु अभियुक्तगण के घर क्यों भेजा, जबकि उसके ही पुत्र के अनुसार वह विनय गोयल के फोन करने पर चेक लेने अपीलार्थीगण विनय व संतोष के घर गया। यदि वादी मुकदमा चेक लेना नहीं चाहता था तो वह अपने पुत्र व अपने साले को इस हेतु मना करता, परन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि वास्तव में जो कथित चेक 18 लाख रूपये का अपीलार्थी नरसिंह राम द्वारा दिया जाना अभिकथित किया गया है, वह उस प्रकार प्राप्त नहीं किया गया जैसा कि वादी मुकदमा का कथन है। कुल 18 लाख रूपये का भुगतान केवल नरसिंह राम को वादी मुकदमा द्वारा किया गया हो, उसकी ही साक्ष्य से साबित नहीं होता है, तब किन परिस्थितियों में अन्य अपीलार्थीगण संतोष व विनय द्वारा प्राप्त की गयी कथित नकद धनराशि का भुगतान भी नरसिंह राम अपीलार्थी द्वारा किया गया, अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है जो यह दर्शाता है कि वास्तव में घटना उस प्रकार घटित नहीं हुयी है जैसा कि अभियोजन कथानक है।

48– अब विचारणीय है कि क्या कथित 18 लाख रूपये की धनराशि के सम्बन्ध में जो चेक अनादृित हो गया उसके एवज में जमीन का बैनामा कराये जाने का तथ्य अभियोजन साक्षीगण अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने में सफल हुये हैं?

49– चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार "पैसा वापिस करने की पेशकश गांव के सभ्रान्त लोगों के सामने किया तो खेत लिखने की बात विनय गोयल ने नरसिंह उपरोक्त से कराने की बात कही जिस पर हम प्रार्थी तैयार होकर जमीन लिखवाने के लिए तैयार हुआ तो स्टाम्प खरीदवाकर रजिस्ट्रार ऑफिस से उपरोक्त नरसिंह के पिता वीरन पुत्र सियार रजिस्ट्री आफिस से भाग खडे हुये।..." जबकि वादी मुकदमा सुरेन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गांव के सभ्रान्त लोगों के समक्ष किसी बातचीत होने का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। उसने मुख्य परीक्षा में इस सम्बन्ध में कथन किया है कि "चेक बाउन्स हो जाने के बाद अपनी रकम वापिस लेने के लिए अभियुक्तगण से सम्पर्क किया। मैं कोटिया उनके घर पर गया, वहाँ मुझे विनय गोयल व संतोष मिले, नरसिंह व बीरन भी वहां आ गये। मैंने चेक बाउन्स हो जाने की बात बतायी। इस पर अभियुक्तगण ने कहा कि हम आपकी रकम नकद वापिस नहीं कर सकते हैं, उसके एवज में 6 मण्डा जमीन तीन लाख रूपये प्रति मण्डा के हिसाब से दे सकते हैं। रजिस्ट्री कराने की बाबत स्टाम्प बत्तीस हजार पांच सौ रूपये का अपने मित्र विश्वजीत के नाम से खरीदा था, अभियुक्तगण ने मेरे नाम कोई सम्पत्ति का स्थानान्तरण नहीं किया, वहां से भाग गये।" वादी ने प्रतिपरीक्षा के **पृष्ठ–12** पर उक्त साक्ष्य के विपरीत यह कथन किया है कि ***"पैसा इनके घर मैं जाकर मांगा था, वहां पर विनय, संतोष व उनकी पत्नी थी, इसके अलावा और कोई नहीं था।"*** जबकि उसने मुख्य परीक्षा में चारों अभियुक्तों के उपस्थित होने का कथन किया है। उसने आगे कथन किया है कि ***"जमीन बीरन राम को लिखनी थी। सभी मुल्जिमान आये थे लेकिन वीरन राम जमीन लिखने नहीं आये। जमीन विश्वजीत कुमार पुत्र लालजी राम साकिन छिछोर जिला मऊ को लेनी थी, मैं उस जमीन की बिक्री में मीडियेटर था।"*** उसने अपने पूर्व बयान के विपरीत आगे कथन किया है कि *"पैसा वापिस कराने के लिए सभ्रान्त लोगों के सामने पेशकश किया था। उन सभ्रान्त लोगों में शशि यादव पुत्र मुनी यादव, शिवेन्द्र बहादुर सिंह, मुल्जिमान की ओर से उनके साथ लालबचन मास्टर इसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। मुल्जिमानों में संतोष व विनय थे। उन्हीं सभ्रान्त लोगों के समक्ष खेत लिखाने की बात विनय गोयल ने नरसिंह उपरोक्त से कराने की बात कही तो मैं खेत लिखाने के लिए तैयार हो गया।"* उसने आगे कथन किया है कि *"मुझे यह पता था कि अभियुक्तगण अनुसूचित जाति के थे। मैं नरसिंह व*

बीरन राम के घर कभी पैसा मांगने नहीं गया हूं।....जमीन बेचने व खरीदने की बात मैंने नरसिंह व बीरन से नहीं किया था। जमीन बेचने की बात नरसिंह से हुयी थी वीरन से नहीं हुयी थी। जो स्टाम्प जमीन रजिस्ट्री के लिए खरीदा था, वह पत्रावली में शामिल मिसिल नहीं है।.....जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए रसडा तहसील में जब मैं गया था, मेरे साथ ओमप्रकाश यादव, परमजीत सिंह, मेरा पुत्र राघवेन्द्र व जिसके नाम रजिस्ट्री कराना था वह विश्वजीत गया था और कोई नहीं गया था।" इस बिन्दु पर जब वादी मुकदमा असा–1 के पुत्र असा–2 से अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी तो उसने कथन किया है कि*"समझौता के लिए ग्राम जकरिया का चुनाव मेरे पिता ने किया था.... मनी यादव सम्मानित व्यक्ति हैं पंचायत में शामिल थे। मुनी चौधरी के घर का रूख नहीं बता सकता ...समझौता में 18 लाख रूपये में जमीन देने की बात हुयी थी वह जमीन बीरन से लेनी थी।"* उसने आगे कथन किया है कि*"पैसा वापसी के लिए पंचायत मुनी चौधरी के विद्यालय पर हुयी थी। उस पंचायत में हम लोगों की तरफ से मैं, मेरे पिता सुरेन्द्र बहादुर सिह, मामा चंदन व शिवेन्द्र बहादुर सिंह थे व शशि यादव तथा चारों मुल्जिमान संतोष, विनय, नरसिंह व बीरन, लालवचन मास्टर थे, उसमें शशि यादव व शिवेन्द्र बहादुर पंच थे...नरसिंह व बीरन के घर सिर्फ एक बार उपरोक्त लोगों के साथ पैसा मांगने गया था।....मुझे पता था कि नरसिंह व बीरन हरिजन बिरादरी के हैं। मुझे पता है कि हरिजन की जमीन केवल हरिजन ही ले सकता है, अन्य लोग बिना परमीशन के नहीं ले सकते हैं। मुझे नहीं पता कि विश्वजीत व बीरन के बीच जमीन के लेन–देन की बात हुयी थी कि नहीं।.....पंचायत में बीरन राम उपस्थित थे। बीरन जमीन रजिस्ट्री को उस समय तैयार थे। पंचायत में जमीन बीरन राम लिखने के लिए तैयार थे, यह बात दरोगाजी को मैंने 161 सीआरपीसी के बयान में बताया था, नहीं लिखे हैं तो कारण नहीं बता सकता ...जिस दिन पंचायत हुयी उस दिन का दिनांक व दिन याद नहीं है।....यह सही है कि रजिस्ट्री आफिस से बीरन राम रजिस्ट्री किये बिना भाग खडे हुये।"*

50– यदि उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य को एक साथ देखा जाये तो यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा व अभियुक्तगण के मध्य रूपये के सम्बन्ध में पंचायत हुयी, जिसमें शशि यादव पुत्र मुनी यादव, शिवेन्द्र बहादुर सिंह तथा मुल्जिमान की ओर से उनके साथ लालवचन मास्टर सम्मिलित हुये, परन्तु इनमें से किसी भी व्यक्ति को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया ना ही उन्हें परीक्षित ना कराये जाने का कोई कारण ही दर्शित किया गया है। विवेचनाधिकारी असा–7 शत्रुघ्न पाण्डेय ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उन्होंने किसी पंच का बयान लेखबद्ध नहीं किया। यदि वादी व अपीलार्थीगण के मध्य कोई पंचायत हुयी थी, तब इस तथ्य को विवेचक को वादी द्वारा अवश्य बताया जाता, परन्तु इस प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उनके द्वारा इस बात को विवेचक को बताया गया था। यह तथ्य यह दर्शित करता है कि वास्तव में उभयपक्ष के मध्य कोई पंचायत ही नहीं हुई। वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने हेतु उसके साथ ओमप्रकाश यादव असा–4 भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय गया, परन्तु असा–4 ओमप्रकाश यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य का कथन ही नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यदि वादी मुकदमा द्वारा कथित धनराशि अपीलार्थीगण विनय गोयल व संतोष गोयल को दी गयी थी, तब उसकी देनदारी हेतु यदि कोई जमीन का आदान–प्रदान किया जाता तो वह उक्त दोनों अपीलार्थीगण के द्वारा ही किया जाता, परन्तु स्वयं असा–1 व असा–2 के कथनानुसार जिस जमीन की रजिस्ट्री की कार्यवाही की गयी, वह सहअभियुक्त बीरन राम की थी। बीरन राम को कोई भी रूपया दिये जाने या उसके द्वारा प्राप्त करने का कथन सम्पूर्ण अभियोजन कथानक व साक्ष्य में नहीं आया है, तब किन

परिस्थितियों में सहअभियुक्त बीरन राम की जमीन वादी मुकदमा को बीरन राम रजिस्ट्री कराने हेतु तैयार हुआ, यह गम्भीर प्रश्न इस प्रकरण में समाहित है, जिसका कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वादी मुकदमा द्वारा कोई कथित धनराशि अपीलार्थीगण को दी गयी थी और उनके मध्य धनराशि के एवज में कोई जमीन दी जा रही थी तो उसका बैनामा वादी मुकदमा द्वारा अपने या अपने पुत्र के नाम में कराया जाना नितान्त स्वाभाविक था, परन्तु वादी मुकदमा के कथनों से ही स्पष्ट है कि कथित स्टाम्प उसके मित्र विश्वजीत के नाम से क्रय किये गये, तब किन परिस्थितियों में उक्त जमीन विश्वजीत के नाम क्रय की जानी थी, यह तथ्य इस प्रकरण की सच्चाई के प्रति गम्भीर सन्देह उत्पन्न करता है क्योंकि वादी के कथनानुसार ही विश्वजीत जिला मऊ का निवासी है। कथित क्रय किये गये स्टाम्प ना तो पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये ना ही विवेचनाधिकारी द्वारा ही विवेचना के दौरान उनका अवलोकन किया जाना दर्शित होता है और ना ही दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उन्हें कब्जे में लिया गया, ऐसा कोई कथन विवेचक ने अपनी साक्ष्य में किया है, जबकि उक्त प्रपत्र इस प्रकरण में अति आवश्यक थे। ऐसी स्थिति में यह किसी भी प्रकार विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि कथित धनराशि तो वादी मुकदमा द्वारा अपीलार्थीगण को दी गयी, परन्तु उक्त धनराशि की प्राप्ति के एवज में अपीलार्थीगण की भूमि के स्थान पर बीरन की जमीन का विक्रय– विलेख वादी मुकदमा द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित ना कराये जाने के स्थान पर किसी अन्य विश्वजीत के नाम से स्टाम्प क्रय करके विश्वजीत के नाम भूमि का विक्रय–विलेख निष्पादित करा दिया जाये, स्वयं वादी मुकदमा द्वारा अपने या अपने पुत्र के नाम के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति विश्वजीत के नाम स्टाम्प क्रय करके उसके नाम कथित भूमि का विक्रय–विलेख निष्पादित कराया जाना प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ना तो विश्वसनीय प्रतीत होता है और ना अभियोजन कथानक को सत्यता ही प्रदान करता है। स्वयं वादी मुकदमा ने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह उक्त जमीन के विक्रय में मध्यस्थ था, तब वह किस परिस्थिति में उक्त भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में मध्यस्थ बन गया, उसकी ही साक्ष्य से दर्शित नहीं होता है और ना ही उसके द्वारा ही स्पष्ट किया गया है और ना ही ऐसा कोई उल्लेख उसने स्वयं द्वारा लिखायी गयी तहरीर में ही किया गया है, उपरोक्त के आधार पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि चूंकि वीरन हरिजन जाति अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जिसकी जमीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही क्रय कर सकता था, जबकि विश्वजीत अनुसूचित जाति का नहीं था, जिस कारण वीरन व विश्वजीत के मध्य भूमि के सम्बन्ध में कोई लेन–देन सबन्धी विवाद था, परन्तु वादी मुकदमा ने सरकारी सेवक होते हुये अपने आपको किसी अन्यथा मन्तव्य से उक्त विवाद में सम्मिलित करके एक फर्जी कहानी बनाकर अपीलार्थीगण को इस प्रकरण में दबाब बनाने के आशय से झूठा संलिप्त कर दिया है।

51– विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलार्थीगण के इस तर्क कि वादी मुकदमा ने जो बयान दिया है, वह अपने पुत्र के कहने पर दिया है, वादी मुकदमा चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, इस तर्क को महत्वहीन इस आधार पर माना है कि बैंक ट्रान्जेक्शन व अन्य साक्ष्य के आधार पर यह महत्वहीन है, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायलय का उक्त निष्कर्ष असा–1 व असा–2 एवं अन्य परीक्षित साक्षी संख्या–3 व 4 के प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों में आये गम्भीर विरोधाभासों एवं बैंक के ट्रान्जेक्शन को दृष्टिगत रखते हुये विधिसंगत नहीं है क्योकि असा–1 कथित प्रथम बातचीत का साक्षी नहीं है। कथित धनराशि नकद दिये जाने के सम्बन्ध में तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, जो कथित धनराशि बैंक में अन्तरित की गयी वह अपीलार्थी संख्या–1 व

2 के खाते में ना जाकर अपीलार्थी संख्या–3 के खाते में अन्तरित किया जाना कहा गया है, परन्तु वह धनराशि वादी मुकदमा द्वारा ही अन्तरित की गयी तत्सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली पर वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्य व्यक्तियों द्वारा जो धनराशि अपीलार्थी संख्या–3 के खाते में अन्तरित किया जाना कहा गया है, उनको साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसे में केवल बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर अपीलार्थीगण को दोषी माना जाना किसी भी प्रकार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या–2 नरसिंह राम का न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में बयान किन परिस्थितियों में लेखबद्ध कर लिया गया और उससे अन्य सहअभियुक्तों को प्रतिपरीक्षा का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।

52– विद्वान परीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है कि असा–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कथित तौर पर पैसे देने के समय वह अवयस्क था और उसकी नौकरी नहीं लग सकती थी, तब अभियेजन का यह कथन कि भविष्य में नौकरी लगवायेंगें, नौकरी लगवाने की प्रत्याशा में उक्त तर्क बलहीन हो जाता है। इसी प्रकार विद्वान परीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पद व स्थान स्पष्ट ना होने पर भी चूंकि रूपये नौकरी दिलाने के लिए दिये गये, बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है, भी विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि असा–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह घटना के समय अवयस्क था। यह भी स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में यही स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में वादी मुकदमा के पुत्र असा–2 राघवेन्द्र प्रताप सिंह व उसके मामा की नौकरी किस विभाग में किस पद पर और कब अपीलार्थीगण लगवायेंगे, तब केवल भविष्यगामी प्रत्याशा में सहायक उपनिरीक्षक वादी मुकदमा जैसे शिक्षित व सरकारी सेवक द्वारा बिना किसी जान पहचान के व्यक्तियों अर्थात अंजान व्यक्तियों की बिना कोई जांच पडताल किये और बिना कोई पूंछताछ किये एक भारी भरकम धनराशि 18 लाख रूपये दिया जाना किसी भी प्रकार विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में विद्वान परीक्षण न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत नहीं है।

53– विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी निष्कर्षित किया गया है कि वादी द्वारा अपने मित्र के नाम पर 32 हजार रूपये का स्टाम्प भी खरीदा गया, किन्तु अभियुक्तगण ने रजिस्ट्री करने या कराने से इन्कार कर दिया, जो इस बात का द्योतक है कि अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं, बिना किसी वैध आधार के उक्त निष्कर्ष निकाला गया है। पत्रावली पर ना तो रजिस्ट्री हेतु क्रय किये गये स्टाम्प ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये ना ही विवेचनाधिकारी को ही दिखाये गये और ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्पष्ट किया जा सका कि जब कोई धनराशि वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तो विक्रय–विलेख वादी द्वारा अपने या अपने पुत्र के नाम ना कराया बल्कि विश्वजीत नामक व्यक्ति के नाम क्यों कराया जा रहा था और स्टाम्प वादी द्वारा अपने या अपने पुत्र के नाम से क्रय ना करके विश्वजीत द्वारा क्यों क्रय किये गये। इसके अतिरिक्त जब वादी द्वारा कथित धनराशि अपीलार्थी विनय व संतोष के कहने पर उन्हें दी गयी तो वीरन की जमीन क्यों क्रय की जा रही थी वह भी जबकि वीरन अनुसूचित जाति का है और उसकी जमीन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के क्रय ही नहीं की जा सकती थी। इस तथ्य पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई भी ना तो साक्ष्य का विवेचन किया गया और ना ही कोई स्पष्टीकरण ही अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन को प्रत्येक मामला सन्देह की प्रत्येक युक्तियुक्त सीमा

से साबित करना आवश्यक होता है ना कि प्रथम दृष्टया अपराध साबित करना होता है। अतैव विद्वान परीक्षण न्यायलय का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है।

54– विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का आधार अपीलार्थी नरसिंह राम द्वारा न्यायालय साक्षी संख्या–1 के रूप में लेखबद्ध किये गये बयान तथा उसके द्वारा निर्गत चेक को भी बनाया गया है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ऊपर किया जा चुका है। मूल चेक पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर केवल उसके बयान के आधार पर ही सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित मानने का जो निष्कर्ष विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निकाला गया है, वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के ना तो अनुरूप है और ना ही विधिसंगत प्रतीत होता है।

55– उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्षित होता है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा–420 भा०दं०सं० के आवश्यक अवयवों को एवं धारा–120 बी भा०दं०सं० के तहत आपराधिक षडयन्त्र के अपराध को सन्देह की प्रत्येक युक्तियुक्त सीमा से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

56– जहां तक अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा–504 व 506 भा०दं०सं० के अपराध क आरोपों का प्रश्न है, वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में सब रजिस्टार कार्यालय में किसी भी अपीलार्थी द्वारा उन्हें गालियां देकर अपमानित करने अथवा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है वरन यह उल्लिखित किया गया है कि "नरसिंह के पिता बीरन पुत्र सियार रजिस्ट्री आफिस से भाग खडे हुये और उनके साथ के आये लोग भी गालियों व जान से मारने की धमकियां देते हुये चले गये।" तहरीर में वीरन के साथ आये व्यक्तियों में से किसी के भी नाम, पिता का नाम आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। वादी मुकदमा असा–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी अपीलार्थीगण द्वारा उसे गालियां देने अथवा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन नहीं किया है, बल्कि यह कथन किया है कि "बाद में अभियुक्तगण ने मेरी रकम वापिस करने या नौकरी दिलवाने से दोनों बात से साफ इन्कार कर दिया, परेशान होकर मैंने कार्यवाही हेतु थाना नगरा पर जुलाई, 2020 में एक तहरीर दी।" इस प्रकार अपनी मुख्य परीक्षा में भी वादी मुकदमा ने किसी भी अपीलार्थी द्वारा उसे गालियां देकर अपमानित करने अथवा जान मारने की धमकी देने का कथन नहीं किया है। असा–2 ने सभी अपीलार्थीगण द्वारा उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय में गन्दी–गन्दी गालियां दिये जाने व जान से मारने की धमकी देने का कथन मुख्य परीक्षा में किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में केवल यह कथन किया है कि बीरन राम बिना रजिस्ट्री किये भाग गये और उनक साथ आये लोगों ने गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। असा–2 अपने पिता असा–1 के साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय जाना कहता है, परन्तु उसके इस कथन कि अपीलार्थीगण ने गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी, का समर्थन स्वयं असा–1 द्वारा ही नहीं किया गया है, जबकि असा–1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में तो वीरन राम का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आने से ही इन्कार किया गया है और कथन किया है कि "सभी मुल्जिमान आये थे लकिन बीरन राम जमीन लिखने नहीं आये।" असा–1 ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके साथ रजिस्ट्री कराने ओमप्रकाश यादव भी गये थे, परन्तु असा–4 ओमप्रकाश यादव ने अपनी मौखिक साक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा को गालियाँ देने एवं जान से मारन की धमकी देने के सम्बन्ध में कोई कथन ही नहीं किया है। जहां तक वादी मुकदमा का यह कथन है कि अपीलार्थीगण से रूपये मांगने पर उन्होंने गन्दी–गन्दी

गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी, का समर्थन उसके ही पुत्र द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में नहीं किया गया है। इस प्रकार तथ्य के उपर्युक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य एक दूसरे के पूर्णतया विपरीत होने के कारण अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा–504 व 506 भा०दं०सं० का अपराध भी सन्देह से परे साबित नहीं होता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने के कारण विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

57– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के अनुसार विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण पर अधिरोपित कुल 50,000/–रूपये अर्थदण्ड धनराशि के अलावा अलग से अभियुक्तगण को कुल 18,00,000/–रूपये प्रतिकर के रूप में वादी मुकदमा को या उसके विधिक वारिसानों को प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में पारित उक्त आदेश पूर्णतया अवैधानिक, न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये एवं विद्वेषपूर्ण भावना से पारित किया गया है जो दं०प्र०सं० की धारा–357 के पूर्णतया विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा दिनांक 14–10–25 को यह अपील न्यायालय श्रीमान् सत्र न्यायाधीश–बलिया के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर भी आदेश में उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त को प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किये जाने के आदेश को अर्थदण्ड का भाग नहीं बनाया गया है, इस कारण प्रतिकर की धनराशि के भुगतान के बिन्दु पर आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जा चुका है।

अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया।

उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा–420 एवं 120बी भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में क्रमशः 40,000/–रूपये तथा 10,000/–रूपये अर्थात् कुल 50,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा निर्णय के एक अलग प्रस्तर–9 में यह भी उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्तगण "अभियुक्तगण विनय गोयल व संतोष गोयल व नरसिंह राम को आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त दो माह के अन्दर वादी मुकदमा को या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसानों को 6,00,000/–(छः लाख रूपये) कुल 18,00,000/–(अट्ठारह लाख रूपये) बतौर प्रतिकर प्राप्त कराकर, उसकी सूचना न्यायालय को देना सुनिश्चित करेंगे।"

उल्लेखनीय है कि **धारा–357 दं०प्र०सं० तथा वर्तमान में धारा–**395 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रतिकर के आदेश का निम्नवत् उपबन्ध करती हैः–

(1)– जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्डादेश देता है या कोई ऐसा दण्डादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दण्डादेश भी है) देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजनः–

(क) अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए;

(ख) किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है;

(ग) उस दशा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के, या ऐसे अपराध के किए जाने का दुप्रेरण करने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को, जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडादिष्ट व्यक्ति से नुकसानी

वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (1855 का 13) के अधीन हकदार है, प्रतिकर देने में किया जाए।

(2)– यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है तो ऐसा कोई संदाय, अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व, नहीं किया जाएगा।

(3)– जब न्यायालय ऐसा दण्ड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दण्डादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है।

(4)– इस धारा के अधीन आदेश, अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

(5)– उसी मामले से सम्बन्धित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को, जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है, हिसाब में लेगा।

उपरोक्त प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यदि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का अवलोकन किया जाये तो यह दर्शित होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को धारा–420 व 120बी भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए कारावास के साथ–साथ अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। जिसमें दोनों धाराओं में प्रत्येक अपीलार्थीगण पर कुल 50,000/–रूपये अधिरोपित किया गया है। यदि विद्वान परीक्षण न्यायालय वादी को प्रतिकर प्रदान करने का इच्छुक था तो वह अधिरोपित अर्थदण्ड में से तथा उसके वसूल होने की दशा में उसका एक भाग क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा को दिला सकता था, परन्तु पृथक से प्रत्येक अपीलार्थी को 6 लाख रूपये बतौर प्रतिकर दिलाये जाने हेतु आदेशित किया है।

विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पृथक से प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश विधि के किस नियम या प्राविधान के तहत पारित किया गया है, अथवा किस मन्तव्य से पारित किया गया है, इसका कोई उल्लेख विद्वान परीक्षण न्यायालय के आदेश से परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय का पृथक से प्रतिकर दिलाये जाने सम्बन्धी आदेश बिना किसी समुचित आधार के तथा विधिक प्राविधानों की परिसीमा व न्यायालय में निहित न्यायिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में ना आने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बलयुक्त प्रतीत होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा न्यायालय में निहित शक्तियों का अतिक्रमण करते हुये उक्त आदेश पारित किया गया है।

58– उपरोक्त विवेचित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नूर आगा बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2008) 16 एस०सी० सी० पेज 417** तथा **कृष्ण जनार्धन भट्ट बनाम दत्ता सय जी हेगड़े ए०आई०आर० 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 1325** के अतिरिक्त भिन्न–भिन्न निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त का उल्लेख करना प्रासंगिक प्रतीत होता है कि प्रत्येक अभियुक्त तब तक निर्दोष परिकल्पित किया जाता है, जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है। निर्दोषिता की उपधारणा एक मानवीय अधिकार है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर यदि विहंगम दृष्टि डाली जाये तो यह तथ्य पूर्णतया साबित होता है कि अभियोजन कथानक के समर्थन में जो साक्षी परीक्षित कराये

गये हैं, उनके बयानों में अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभास, लोप एवं गम्भीर कमियां व सुधार हैं। **हरियाणा राज्य बनाम जय प्रकाश 2003 एस०सी०सी० क्रि० 523** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गवाहान के बयान में की गयी बढ़ोत्तरी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दं०प्र०सं० की धारा–161 के बयानों में भिन्नता की स्थिति में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराने का मन्तव्य माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया तथा **अशोक विष्णु दावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004 (48) ए०सी०सी० 665 (एस०सी०)** में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा दं०प्र०सं० की धारा–161 के बयानों में जिन तथ्यों का विवरण नहीं है, उनके बाबत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये कथन साक्ष्य की बढ़ोत्तरी होते हैं तथा साक्षीगण की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और इन परिस्थितियों में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। **रुद्रप्पा रामप्पा जौनपुर व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2004 (2) ए०ए०आर० 565 एस०सी०**, में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई साक्षी न्यायालय में प्रथम बार बढा–चढाकर कोई बयान देता है तो उस बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। **चन्द्रपाल बनाम हरियाणा राज्य 2002 एस०ए०आर० क्रिमिनल 185 एस०सी०** के मामले में कई अन्य स्वतन्त्र साक्षी उपलब्ध थे लेकिन उन्हें परीक्षित ना किये जाने के कारण अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद माना गया। **सरवन सिंह रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए०आई० आर० 1957 सुप्रीम कोर्ट 637** तथा **आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 4676** में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार अभियोजन कथानक में अभियुक्त के विरुद्ध समग्रता में सत्य का कुछ अंश हो सकता है, किन्तु अभियोजन कथानक सत्य हो सकता है अथवा निश्चित रूप से सत्य है इन दोनों के बीच एक लम्बा अन्तराल है और इस अन्तराल को पूरा करने का दायित्व अभियोजन का है। विधि व्यवस्था **अमर सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2017 (98) ए०सी०सी० 855** के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से दो मत प्रकट हो रहे हो तो जो अभियुक्त के हित में हो, उसे स्वीकार किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजकुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बटैया बनाम राजस्थान राज्य (2013) 5 एस०सी०सी० 722** में मत व्यक्त किया है कि सन्देह कितना भी गम्भीर क्यों ना हो, वह सत्य का स्थान नहीं ले सकता। विधि व्यवस्था **अखिलेश कुमार बनाम स्टेट आफ उ०प्र० 2016 (95) ए०सी०सी०–170** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी आपराधिक वाद में सन्देह उजागर होता है तथा वह इतना अधिक होता है कि अभियोजन वाद को सन्देह के घेरे में ले आये तो ऐसे वाद में अभियोजन वाद इस साक्ष्य पर आधारित कर अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध विरचित आरोपों में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। **मध्य प्रदेश राज्य प्रति बच्चूदास उर्फ बलराम 2007 (57) ए०सी०सी० 540 सुको, एम०एस० नरायन मेनन प्रति केरल राज्य, (2006) 6 एस०सी०सी० 39, सच्चेलाल तिवारी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2005 (51) ए०सी०सी० 141 सुको** एवं **हेमराज प्रति पंजाब राज्य, 2004 (50) ए०सी०सी० 84 सुको** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से दो निष्कर्ष निकलना सम्भव हो, एक दोषसिद्धि का एवं दूसरा दोषमुक्ति का, तब जो निष्कर्ष अभियुक्त के पक्ष में हो, उसे अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया जाना चाहिये।

59– उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों एवं तथ्यों के परिशीलन से एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा–420, 120 बी, 504 तथा 506

भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करने सम्बन्धी जो निर्णय व आदेश पारित किया गया है, वह उपरिवर्णित विधि व्यवस्थाओं व साक्ष्य के विवेचन के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप दर्शित नहीं होता है। इस प्रकरण की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा अपने पुत्र राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं साला चंदन कुमार सिंह को सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु अभियुक्तगण विनय गोयल एवं संतोष गोयल से किस दिनांक, माह अथवा वर्ष में तथा किस स्थान पर वार्ता की गयी इसका ही कोई उल्लेख नहीं है। पूर्व विवेचन में पाया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत कराये जाने में अनुचित विलम्ब है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा पंजीकृत करायी गयी इस प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्य आधार एवं केन्द्र बिन्दु वादी द्वारा स्वयं अपने पुत्र तथा साला को सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु वार्ता किया जाना उल्लिखित किया है, जो उक्त पैसा वापस ना करने पर वादी के जमीन लिखवाने के लिए तैयार हो जाने तथा उक्त प्रकरण रजिस्ट्री आफिस तक पहुंच जाने और उसके उपरान्त अपने मित्र विश्वजीत कुमार के नाम से स्टाम्प क्रय किये जाने के पश्चात् थाना रसड़ा, जिला बलिया की घटना तथा पैसा वापसी पर आधारित रहा है, लेकिन उचित क्षेत्राधिकार के थाना रसड़ा, जिला बलिया पर अभियोग दर्ज ना कराया जाना पाया गया है। वादी के द्वारा अपनी तहरीर में स्वयं के लोक–सेवक होने के तथ्य को छिपाया है एवं विचारण के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ है कि वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है तथा उसने यह ज्ञान होना भी स्वीकार किया है कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है तथा यह जानते हुए भी की रिश्वत लेना देना अपराध है, इसके बावजूद भी उसने नौकरी के लिए रिश्वत देना कहा है। साक्ष्य में यह भी आया है कि वादी मुकदमा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण तात्विक बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभास है, जिस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में वादी मुकदमा द्वारा कितनी धनराशि स्वयं से एवं कितनी धनराशि विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से अपीलार्थीगण को दी गयी,इसका कोई सम्यक् स्पष्टीकरण उसके द्वारा नहीं दिया गया है। अभियोजन के द्वारा तहरीर में अथवा साक्ष्य में यह भी नहीं कहा गया है कि वादी की उक्त नौकरी को दिलाये जाने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण से किसी मोबाईल नम्बर अथवा समय विशेष पर वार्ता रही हो। उक्त धनराशि किस वर्ष के विज्ञापन तथा किस विज्ञापित पद की नौकरी हेतु दी गयी, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण विनय व संतोष के किसी खाते में कोई धनराशि अन्तरित नहीं की गयी, बल्कि अपीलार्थी नरसिंह राम के खाते में अन्तरित किया जाना कहा गया है, वह किन परिस्थितियों में की गयी, जबकि कथित नौकरी लगवाने की बात केवल अपीलार्थीगण विनय व संतोष से ही किया जाना अभिकथित किया गया है। जितनी धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गयी, उसका विश्वसनीय प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित स्टाम्प वादी मुकदमा द्वारा अपने नाम से क्रय ना करके विश्वजीत नाम के अन्य किसी व्यक्ति के नाम से क्रय किये गये, वह किन परिस्थितियों में वीरन की भूमि सम्बन्ध में क्रय किये गये, अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा सका है। विश्वजीत को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य मे प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही कथित स्टाम्प ही साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थी नरसिंह राम द्वारा 18 लाख रूपये धनराशि का चेक किन परिस्थितियों में वादी को प्रदान किया गया, यहीं साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। तहरीर के अनुसार वादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोहरी जिला प्रयागराज द्वारा दिनांक 28–01–20 को चेक वापिस कर दिया गया था किन्तु उपरोक्त चेक मूल रूप मे पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि कथित रूपये अपीलार्थीगण को दिये गये तो वीरन राम की भूमि किन परिस्थितियों में क्रय की जा रही थी, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–3 व 4

घटना के चक्षुदर्शी साक्षी प्रतीत नहीं होते हैं, बल्कि उनकी साक्ष्य अनुश्रुत कोटि की साक्ष्य होने के कारण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। विवेचक द्वारा ना तो किसी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया ना ही कोई नक्शा–नजरी बनाया गया, अभियोजन द्वारा तहरीर में घटना की कोई तिथि अथवा स्थल ही स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रारम्भ में बातचीत किस वर्ष में, किस दिनांक को और किस स्थान पर की गयी। आलोच्य निर्णय में किसी अभियोजन साक्षी के प्रतिपरीक्षण के अंश का उल्लेख नहीं है एवं मुख्य परीक्षा कथनों पर ही आधारित होना दर्शित होता है, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष का महत्वपूर्ण मूल्यवान कानूनी अधिकार है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बहस हेतु नियत दिनांक 09–09–25 को बिना स्पीकिंग आर्डर पारित किये अभियुक्त नरसिंह का कथन लेखबद्ध किया गया एवं उक्त कथन के अवलोकन से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण का अवसर अभियुक्तगण को प्रदान नहीं किया गया एवं उक्त साक्षी का साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त उक्त साक्षी के सम्बन्ध में भी बहस का कोई भी अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली निर्णय हेतु नियत कर दिया जाना प्रमाणित हुआ है, साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल एवं संतोष गोयल के द्वारा उपरोक्त परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध तथ्यों का अंकन करते हुए उपरोक्त वाद संख्या–3641/2020 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति विनय गोयल व अन्य थाना नगरा, जिला बलिया की उपरोक्त पत्रावली को उनके न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र संख्या–400/2025 अन्तर्गत धारा–408 दं०प्र०सं० दिनांक 16–09–25 को श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्बन्धित न्यायालय से आख्या आहूत करने का आदेश पारित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 31–10–25 नियत की गयी थी, किन्तु उपरोक्त स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र के लम्बित रहते हुए आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांक 18–09–25 तथा 23–09–25 पारित किये गये है। ऐसे समग्र सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भली–भांति परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत निर्णय पारित नहीं किया है, जो इस न्यायालय की राय मे विधिनुसार नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोपित आरोप साबित नहीं होते है और अपीलार्थी/अभियुक्तगण उनके विरूद्ध लगाये गये उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है। न्यायालय विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश दिनांकित 18–09–2025 एवं उसके अनुक्रम में पारित दण्डादेश दिनांकित 23–09–2025 अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थीगण की यह अपील तदानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1– अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल, संतोष गोयल तथा नरसिंह राम द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–105/2025, 109/2025 तथा दाण्डिक अपील संख्या–110/2025 स्वीकार की जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 18–09–2025 एवं उसके अनुक्रम में पारित दण्डादेश दिनांकित 23–09–2025 अपास्त किये जाते है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोपित आरोप धारा–420, 120 बी, 504 व 506 भा०दं०सं० के अपराध का दोषी ना पाते हुये उन्हें उक्त अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

2– अभियुक्त/अपीलार्थीगण इस अपील में जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा प्रतिभू–पत्र खण्डित किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्तगण को यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय व आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर **धारा–437 ए दं०प्र०सं०**

/धारा–481 बीएनएसएस के अनुपालन हेतु 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि के दो सक्षम विश्वसनीय प्रतिभूगण के जमानतनामें इस पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे जो अग्रिम 6 माह तक माननीय अपीलीय न्यायालय हेतु प्रभावी रहेंगे।

3– अपील की पत्रावली आवश्यक पूर्ति उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत की जाये। विद्वान परीक्षण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब अग्रिम कार्यवाही हेतु इस निर्णय की प्रति सहित परीक्षण न्यायालय को वापिस प्रेषित किया जाये।

4– अपीलार्थी/अभियुक्तगण विनय गोयल, संतोष गोयल तथा नरसिंह राम द्वारा यदि कोई अर्थदण्ड परीक्षण न्यायालय में जमा किया गया हो तो अपील समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापिस किया जाये, इस निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5– इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति दाण्डिक अपील संख्या–105/2025 की पत्रावली पर तथा निर्णय एवं आदेश की प्रतियां दाण्डिक अपील संख्या–109/2025 एवं दाण्डिक अपील संख्या–110/2025 पर रखी जाये।

दिनांकः 10–08–2026

(प्रमोद कुमार गंगवार)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)पी०ए० एक्ट,
अपर सत्र न्यायाधीश
बलिया।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 10–08–2026

(प्रमोद कुमार गंगवार)
विशेष न्यायाधीश, (एस०सी०/एस०टी०)पी०ए० एक्ट,
अपर सत्र न्यायाधीश
बलिया।

Steno– Aditya Gupta